



# इस्लाम के सिद्धान्त

लेखक :  
हमूद बिन मुहम्मद अब्बाहिम

अनुवादक :  
मुहम्मद शरीफ

31

COOPERATIVE OFFICE FOR CALL GUIDANCE

# इस्लाम के सिद्धान्त

लेखक :

हमूद बिन मुहम्मद अब्बासिहिस

अनुवादक:

मुहम्मद शरीफ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

اللاحم ، حمود بن محمد

مبادئ الإسلام . - الرياض .

٩٦ ص ؛ ٢٤X١٧ سم

ردمك : ٨-٥١-٧٩٨-٩٩٦٠

١- الإسلام - مبادئ عامة

أ- العنوان

١٩/٢٦٤١

ديوي ٢١١

رقم الإيداع : ١٩/٢٦٤١

ردمك : ٨-٥١-٧٩٨-٩٩٦٠

**COOPERATIVE OFFICE  
FOR CALL AND GUIDANCE  
IN AL- BATHA**

UNDER THE SUPERVISION OF  
MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS.

ENDOWMENTS, PROPAGATION AND GUIDANCE

PO. BOX:20824 RIYADH.11465

00966-1 — 4030251  
— 4034517  
— 4031587  
— 4030142  
FAX — 4059387

Lecture hall. Tel + Fax: 00966- 1- 4083405

© All rights reserved for the Office

No part of this book may be used for publication without the  
written permission of the copyright holder, application for  
which should be addressed to the office

## इस्लाम के सिद्धान्त

जगत में जितने भी धर्म हैं उनके नाम किसी मुख्य व्यक्ति या मुख्य जाति के आधार पर रखे गये हैं। जैसा कि इसाई - धर्म का नाम हजरत इसा के नाम पर रखा गया है और बौद्ध मत का नाम गौतम बुद्ध के नाम के आधार पर रखा गया है, ज़रतुश्त धर्म का नाम इस कारण प्रसिद्ध हुआ कि इसकी नींव ज़रतुश्त ने रखी थी। इसी प्रकार यहूदियत एक समुदाय में प्रसिद्ध हुई जो यहूदा कहलाता था, परन्तु इस्लाम का नाम न किसी मुख्य व्यक्ति के नाम के आधार पर रखा गया है और न किसी मुख्य जाति के नाम पर बल्कि इसका नाम इस्लाम शब्द के अर्थ से है।

### इस्लाम का अर्थ और उसकी सच्चाई -

इस्लाम शब्द का अर्थ अरबी भाषा ( जिसमें कुरआन नाज़िल हुई है) में आज्ञा पालन करना और उपदेश देने वाले की बात बिना किसी शंका के मान लेना है। अर्थात् अल्लाह का अनुसरण करना

और उसके समक्ष सम्पूर्ण समर्पण कर देने को इस्लाम कहते हैं। और यही इसकी सच्चाई भी है। इसी कारण मुसलमान अल्लाह का आज्ञापालन करके और उसके आदेशों को मान कर और जिन कार्यों से उसने मना किया उनसे बच कर, इस संसार के साथ जिसमें वह रहता है, आकृति उत्पन्न कर लेता है। इसी प्रकार सारी वस्तुएं अल्लाह के आदेश को मान रही हैं और उसके आधीन में है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि इस संसार की हर वस्तु एक निर्धारित नियमानुसार और नियमपूर्वक आज्ञा से बंधी है। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, रात्रि और दिन, भूमि, जीव - जन्तु और सारा ब्रह्माण्ड उस नियमानुसार चल रहे हैं जो उनके विधाता अल्लाह ने उनके लिए नियुक्त कर दिया है। यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य की स्थिति पर विचार करें तो तुम्हें ज्ञान होगा कि वह अपने जन्म और अपने शरीर और अंग की रचना के निर्माण के अनुसार और अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओं जैसा के जल, भोजन, गर्मी, वायु, प्रकाश, आराम और निद्रा जैसे कार्यों में भी एक नियम का आज्ञाकारी है जिसमें इसको

भी कोई अधिकार नहीं है जिस प्रकार दूसरे प्राणियों को नहीं है।

इस प्रकार यह सम्पूर्ण नियम जिसका इस संसार की हर वस्तु आज्ञापालन कर रही है और उसकी आज्ञा से मुख नहीं मोड़ सकती, बड़ी शान वाले सृष्टिकर्ता का निर्माण किया हुआ है। और वह अल्लाह है कि जन्म देना और उपदेश देना उसी का अधिकार है। सारी सृष्टि उसी विधाता और सृष्टिकर्ता अल्लाह की आज्ञाकारी है। इसी कारण यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस्लाम ही सारे संसार का धर्म है। क्योंकि इस्लाम अपने वास्तविक अर्थ में जैसा कि तुम्हें ज्ञान हो गया है, उपदेशक के उपदेश को मानना और उसमें कोई शंका करे बिना आज्ञापालन करना है, और यहाँ उपदेशक का अभिप्राय अल्लाह है ( जो एकेश्वर है और उसका कोई भागीदार नहीं) सृष्टि करना और उपदेश देना उसी का कार्य है। एक प्रकार से मनुष्य प्रकृति के सर्वसाधारण नियम का आज्ञाकारी है। और दूसरी प्रकार से और जीवों से भिन्न है। वह यह कि उसके विधाता अल्लाह ने उसको पसन्द और नापसन्द

की स्वतंत्रता दी है। और उसने अपने उन दूतों (रसूलों) के ज़रिये जिनको उसने हर युग में मनुष्यों की ओर भेजा और उनमें के अन्तिम दूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० जो हज़रत अब्दुल्ला के पुत्र हैं। उसके (मनुष्य) समक्ष अच्छे और बुरे दोनों मार्ग स्पष्ट कर दिये हैं और अब जो मनुष्य अपनी इच्छानुसार प्रसन्नता से सीधे मार्ग को स्वीकार करेगा और अल्लाह ने जिन प्रार्थनाओं का आदेश दिया है उनकी आज्ञा करके और उन वस्तुओं जिन से मना किया है उससे बचकर अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा वह इस्लामी नियमानुसार मुस्लिम है। और जो मनुष्य इस पूजा को जिस को करने का उसने आदेश दिया है, अस्वीकार करके और उन वस्तुओं को जिन से मना किया है स्वीकार करके असत्य के मार्ग पर चलेगा तो वह काफिर है। और जिस दिन वह अपने अल्लाह का सामना करेगा तब उसका लेखा-जोखा होगा तो वह अपने कर्मों का परिणाम प्राप्त करेगा। जैसा कि अल्लाह ने क़ुरआन में कहा है कि

“तो जो कोई कण - मात्र सुकर्म करेगा उसको

**देख लेगा, और जो कोई कण - मात्रं दुष्कर्म करेगा उसको देख लेगा" ( १९: ७-८)**

इस योग्यता के आधार पर जो अल्लह ने उसको सौंपी है और वह बड़ा वरदान है जिसे अल्लाह ने उसे दिया है। समभूमि और पानी की सब वस्तुएं और रात - दिन को उसकी सेवा के लिए व्यस्त करने के बाद, उसको आदेश दिया है कि बस इस एकेश्वर की आज्ञा का पालन करे और उसके साथ किसी को भागीदार बनाने से मना किया है। और उसकी आज्ञाओं का पालन करने पर अपने आशीर्वाद से अर्पित किया है।

## **कुछ उपहार**

१. इस प्राकृति में फैले हुए इन चिन्हों से लाभ उठाना जो इस बात का प्रमाण है कि अल्लाह ही अकेला सच्चा पूजनीय है उसके सिवा कोई और पूजनीय नहीं है।

२. इस संसार में बहुत शान्ति से जीवन बिताना कि इसमें न भय हो और न कोई आतंक, इसका हर कुल प्रसन्नतापूर्वक होता है जैसा के हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने इस हदीस में कहा है -



“ सच्चे मुसलमान का विषय निराला है इसका हर कार्य अच्छा है अगर उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है तो यह उसके लिए बेहतर है और उसे पीड़ा होती है तो सहन कर लेता है यह भी उसके लिए अच्छा है और यह बात केवल सच्चे मुसलमान के लिए ही होती है।” (हदीस)

इसलिए कि वह जानता है कि इस संसार में क्यों आया है, जानता है कि वह केवल अल्लाह की पूजा के लिए आया है जिसने जिन्नात और मनुष्यों को केवल अपनी पूजा के लिए जन्म दिया है। उनसे वह न रोज़ी चाहता है और न यह चाहता है कि उसको भोजन कराएँ वह स्वयं रोज़ी देने वाला बड़ा शक्तिशाली है। जैसा कि वह यह जानता है कि इसके बाद वह कहाँ जायेगा, स्वर्ग में वह अपने अल्लाह से भेंट करने को जायेगा। फिर वह जानता है कि कहाँ से आया है, अल्लाह के आदेश से आया है जिसने उसे जन्म दिया है, उसको रोज़ी दी और उस पर अपनी, स्पष्ट व छिपी बहुमूल्य उपहारों की वर्षा की और हर वस्तु को उसकी सेवा में लगा दिया।

“अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए ऐसे जन्तु बना दिये कि उनमें से कुछ (जन्तुओं) पर सवारी करते हो और कुछ का मांस खाते हो।” ४०:७९

अल्लाह ही है जिसने आकाश और धरती की सृष्टि की और आकाश से पानी उतारा फिर उसके द्वारा तुम्हारी रोजी के लिए फल निकाले और नाव को तुम्हारे आधीन कर दिया ताकि वह समुद्र में उसके आदेश से चलें और दरियाओं को तुम्हारे आधीन कर दिया, और सूर्य और चन्द्रमा को तुम्हारे कार्य में लगाया कि सदा चलते रहते हैं। और दिन और रात्रि को तुम्हारी सेवा में लगा दिया है।

“क्या तुने देखा नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ धरती में है तुम्हारी सेवा में लगा दिया है”

( २२: ६५ )

३. मुसलमान इस जीवन में अपने अमल का प्रारंभ करता है तो वह उस समय जानता है कि ये संसार सदा रहने का स्थान नहीं है केवल यह एक सराय है और सदा के जीवन की ओर जाने वाला पथ है, और उस जीवन के लिए पूंजी तैयार करने का अवसर है।

और अल्लाह की जो हर अच्छे कर्म का फल देने वाला है, प्रसन्नता के प्राप्त करने की दौड़ है इसलिए मुस्लिम इस संसार में जीवन की जो कुछ वस्तुएं प्राप्त हो जाएं उस पर प्रसन्न और संतुष्ट होता है। इसलिए कि वह जानता है कि यह सब केवल उपयोग करने की वस्तुएं हैं।

४. मुसलमान 'कयामत' (प्रलय) के दिन अपने अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करेगा व भाग्यवान होगा और इसी प्रसन्नता के महत्व से नरक के दण्ड से मुक्ति पाएगा और स्वर्ग में जाएगा। अतएव जो कोई नरक से बचा लिया जाये और स्वर्ग में प्रवेश कर जाए वह सफल हो गया, और इस संसार का जीवन केवल मायावी वस्तु है। (३: १८५)

इस्लाम के इस संक्षिप्त विवरण के बाद कदाचित्तुम इसका विस्तार ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक होंगे

जैसा कि आपको ज्ञात हो चुका है इस्लाम ही वह धर्म है, अल्लाह इसके सिवा और कोई धर्म स्वीकार नहीं करेगा। जैसा कि कुरआन में आया है।

“ निसंदेह (आकर्षक) धर्म अल्लाह के पास इस्लाम है। ” (३: १९)

और जो (मनुष्य) इस्लाम के सिवा कोई और धर्म की इच्छा करेगा उससे वह कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा और वह आखिरत ( आगे के जीवन में ) निराश ( लोगों ) में से होगा। ( ३ : ८५ )

फिर इसके विस्तार ज्ञान का क्या साधन है ?

**अल्लाह के आदेश और उसकी धर्मनिति के ज्ञान के साधन : -**

मनुष्य को तथापि बुद्धि तथा विचार करने की शक्ति और समझने की योग्यता दी गई है फिर भी वह अल्लाह के आदेशों को और उसके उपदेशों को केवल अपनी बुद्धि के द्वारा जान नहीं सकता इसलिए की जब मनुष्य अपने जैसे प्राणी मनुष्य के हृदय में क्या है , जब तक कि वह स्वयं न कहे या न करे , जान नहीं सकता, तो वह भला सृष्टिकर्ता अल्लाह की इच्छा कैसे जान सकता है। अतएव इस नीव पर मनुष्य प्राणियों के लिए नियम बनाने की क्षमता नहीं रखता, इसलिए केवल उनका सृष्टिकर्ता ही है जो उनके हृदयों के रहस्यों को जानने वाला और यह जानने वाला कि उनके

वर्तमान तथा भविष्य के लिए क्या उचित है, उनके लिए नियम बना सकता है और अल्लाह की इच्छा और उसके नियमों को जानने का कोई जरिया 'वक्ली' (आकाशवाणी) के बिना नहीं है जो दूतों (रसूलों) और ईश दूतों (नबियों) के जरिये से जनसाधारण तक पहुंचाई गयी है। और अल्लाह ने जो अपने भक्तों के लिए बड़ा दयावान है, उनको अपनी, इच्छाओं और निर्बल बुद्धियों के हवाले करके छोड़ नहीं दिया है कि भटकते फिरे बल्कि उनके पास अपने दूत भेजे और उनके साथ किताबों को उतारा वह उनको (किताबों) लोगों के समक्ष पढ़कर सुनाते और अल्लाह की आज्ञा और इच्छा और यह बात स्पष्ट करते कि उसकी प्रसन्नता किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और यह बताते कि अन्तिम दूत हजरत मुहम्मद स०अ०व० हैं।

### **दूतों (रसूलों) की पहचान :-**

आपको यह पता हो चुका है कि दूत ही अल्लाह के नियम और आदेशों को पहचानने वाले होते हैं, और केवल वही उसका एक जरिया है, अब देखें कि दूतों की पहचान और उनकी सच्चाई की दलीलों

को जानने के क्या साधन हैं।

**दूतों की सच्चाई की दलीलें इस प्रकार हैं :**

१. आप देखेंगे कि वह अपनी स्वयं आवश्यकताओं के लिए कोई वस्तु नहीं मांगते परन्तु वह जन साधारण की अच्छाई और भलाई के लिए प्रयत्न करते हैं और उनको ऐसी वस्तुओं से भय दिलाते हैं जो उनके लिए हानीकारक हैं।

२. वह जिस बात का निमन्त्रण देते और जो छिपे हुए रहस्य स्पष्ट करते हैं, उनको कोई मनुष्य अपनी बुद्धि और ज्ञान से जान नहीं सकता और जो बातें वह बताते हैं, घटनाएं और सच्चाई उनकी पुष्टि करते हैं।

३. यह कि हर दूत को एक मुख्य दलील (चमत्कार) दी जाती है जिसको न अस्वीकार कर सकते हैं और न इस जैसी दलील उपस्थित कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण हज़रत नूह हैं, उन्होंने अपनी जाति को ललकारा कि उनको समाप्त कर दें परन्तु वह लोग ऐसा न कर सके जबकि हज़रत नूह उनके बीच में बिना रक्षक के (काफ़िरों की शत्रुता के बावजूद) रहते थे, इसी प्रकार हज़रत इब्राहीम

और हज़रत हूद के उदाहरण हैं। और हज़रत मूसा को अल्लाह ने एक छड़ी दी थी, जब वह चाहते उनके हाथ में अजगर बन जाती और हज़रत ईसा जन्म से ही अन्धे और कोढ़ी को स्वस्थ कर देते और अल्लाह के आदेश से जीवित कर देते, और हमारे आदरणीय ईशदूत (नबी) हज़रत मुहम्मद स०अ०व० यह कुरआन लेकर आए जबकि आप न पढ़ सकते थे और न लिख सकते थे और न इससे पहले किसी व्यक्ति से कुछ सीखा था, बल्कि वह तो बिना माता - पिता के अनाथ रहे और जबकि अरब निवासी सब मिलकर भी न इस जैसा कुरआन प्रस्तुत कर सके और न ही इस जैसी दस सूरतों (अध्याय) ही प्रस्तुत कर सके। और अखिर में आप ने उन्हें ललकारा कि इस जैसा एक सूरह ही बना लाएं तो किसी ने प्रस्तुत नहीं की और कदापि कोई ला भी नहीं सकेगा।

“कह दो (ऐ ईशदूत) अगर मनुष्य तथा जिन इस बात पर एक हों जाएं कि इस जैसा कुरआन ले आए तो इस जैसा ला नहीं सकते इसके बाद भी की वह एक दूसरे के सहायक बन जाएं।”

१७ : ५० )

अल्लाह ने हर जाति में उन्हीं में से एक दूत भेजा है और उसको उसकी जाति के अनुसार एक चमत्कार दिया परन्तु ये सभी दूत विशेष जाति के लिए थे और फिर आखिरी न थे इसलिए वह उन जातियों के साथ समाप्त हो गए, किन्तु हजरत मुहम्मद स.अ.व. की नबूवत आखिरी रिसालत और समाप्ति थी इसलिए अल्लाह ने आप को एक ऐसा चमत्कार दिया जो उस समय तक शेष रहेगा जब तक मनुष्य रहेगा। आप से पहले पैग़म्बरों के चमत्कार प्रायः महसूस किये जाने वाले पदार्थों में से थे परन्तु कुरआन तो वह एक ज्ञानिक, बुद्धिक चमत्कार है कि युगों की गति के साथ मनुष्य की बुद्धि की उन्नति का इस पर प्रभाव न पड़े।

जब आपने अल्लाह के धर्म यानी इस्लाम को जानने का साधन जान लिया है तो अब देखो कि इस्लाम क्या है जिसको अल्लाह ने पसन्द किया है और जिसको अपने भक्तों से स्वीकार कराया है। मेरे साथ चलो ताकि हम इससे विस्तार के साथ जान जाएं, जैसा कि आप इससे पहले जान गये हैं



इस्लाम अल्लाह के सम्पूर्ण समर्पण कर देना और उसकी आज्ञापालन करना है और वह एक अल्लाह ही है, जिसका कोई भागीदार नहीं, आज्ञापालन करना है। कुछ प्रत्यक्ष कार्य ऐसे हैं जिसको मनुष्य अल्लाह के आज्ञापालन के लिए और उस विधी के अनुसार जो अल्लाह के दूतों ने बताया है, पूरा करता है। उन दूतों में आखिरी दूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० हैं। उनकी धर्मनिति ही आखिरी धर्मनिति है। बस अल्लाह की पूजा जो हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ( जो आखिरी दूत हैं ) की धर्मनिति के अनुसार होगी वही इस्लाम है। और जो इसके विरुद्ध होगी सही नहीं होगी इस कारण कि वह इस नियम के विरुद्ध होगी जो अल्लाह ने निर्धारित किया है। क्योंकि यह कार्य हृदयों में पाए जाने वाले धर्म का साधन होते हैं इसीलिए जिस अमल का प्रेरिक धर्म और हृदयिक विश्वास हो, वही खुले और गुप्त आधार पर सच्चा व सही इस्लाम है। और वही है कि जिसके द्वारा भक्त अपने पालनहार, सृष्टिकर्ता और दयालु की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। और यही वस्तु उसको क़यामत के दिन अल्लाह के दण्ड

से छुटकारा दिलायेगी।

**इस्लाम पाँच कृत्य पर आधारित है :**

१. लाइलाह इल्लाह मुहम्मदरसूल्लाह ( अल्लाह के सिवा और कोई पूजनीय नहीं है मुहम्मद स.अ.व. अल्लाह के रसूल हैं ) की गवाही।

इस गवाही की मांग यह एलान और इस सच्चाई को बताना कि अल्लाह ही सच्चा पूजनीय है। और ये कि उसके अतिरिक्त सभी पूजे जाने वाले असत्य हैं जो किसी को लाभ या क्षति पहुंचाने की शक्ति नहीं रखते और न इस योग्य हैं कि उनकी पूजा की जाए। इसी प्रकार वह आदेशक है जो सृष्टि और जीवन के सारे साधनों को चलाने वाला है। इसी कारण लोग कोई निर्णय उसके नियम और आदेश के विरुद्ध न करें।

“निर्णय का अधिकार नहीं परन्तु अल्लाह ही को उसने आदेश दिया है कि उसके सिवा किसी की पूजा न करें।” ( १२ : ४० )

इसलिए आवश्यक है कि लोग उसको छोड़ कर किसी और के पास अपने विनय प्रस्तुत न करें।

“निर्णय का अधिकार नहीं परन्तु अल्लाह ही को, वह सच्चा वर्णन करता और वह सही निर्णय करने वाला है”। ( ६ : ५७ )

इसलिए उसके आदेश के सिवा हर आदेश एक ऐसे असभ्य के आदेश में गिना जाएगा जो अपने भीतर अज्ञानता, जुल्म व गुमराही लिए हुए होता है।

“क्या वह अज्ञानता का नियम चाहते हैं और अल्लाह से अच्छा नियम बनाने वाला कौन है, उन लोगों के लिए जो विश्वास रखते हैं।” ( ५ : ५० )

यह भी आवश्यक है कि सब प्रकार की पूजाओं का प्रयोग बस उसी के लिए हो इस प्रकार किसी के लिए उचित नहीं है कि अल्लाह के सिवा किसी और के समक्ष अपनी पीठ झुकायें या शीश झुकायें या उसके सिवा किसी से प्रार्थना करें व किसी प्राणी से ऐसी वस्तु मांगें जिस पर अल्लाह के सिवा कोई और शक्ति नहीं रखता। अब रहा हजरत मुहम्मद स.अ.व. का अल्लाह के दूत होने की गवाही की मांग तो ये इस बात को स्वीकार करना है कि आप अल्लाह ही की ओर से दूत हैं इसी प्रकार के सच्चे

और विश्वासी होने का और उन सब बातों में जिनकी आपने अल्लाह की ओर से सूचना दी है दोष से परे होने को स्वीकार करना, बीते हुए युगों की बातों में से जिनकी आपने सूचना दी है सही कहना, इसी प्रकार भविष्यवाणी व छिपे हुए रहस्यों का प्रमाण देना भी इस मांग में है इसीलिए कि हर वह बात जिसकी आप सूचना देते हैं अल्लाह की ओर से 'वस्ली' (आकाशवाणी) होती है।

“वह नही है परन्तु वस्ली (आकाशवाणी) जो उसकी ओर की जाती है उसको एक शक्तिशाली हस्ती ने सिखाया है।”

५३: ४-५

इसलिए इन कार्यों में जिनका आपने आदेश दिया है स्वीकार करना और उन सब कार्यों से बचना आवश्यक है जिनसे बचने का आदेश दिया गया है और यह केवल इसलिए कि आप का (हज़रत मुहम्मद स.अ.व.) अनुसरण करना अल्लाह का अनुसरण करना है। हज़रत मुहम्मद स.अ.व. अल्लाह की ओर से उसके नियमों और आदेशों को पहुँचाने वाले हैं, इसलिए हज़रत मुहम्मद स.अ.व.

की बातों को अस्वीकार करना रीति के विरुद्ध है क्योंकि दूत का आज्ञापालन न करना उस हस्ती का आज्ञापालन न करना है जिसने उसे भेजा है और उसका अनुसरण ही अल्लाह का अनुसरण करना है।

### २. नमाज़ (सलात) :-

इस्लाम के कृत्यों में से दूसरा कृत्य नमाज़ है जो शरीर की पवित्रता से आरम्भ होता है और आत्मा और नफस की पवित्रता पर समाप्त होता है। इसको दिन में पाँच बार पढ़ना होता है, इसलिए कि जब मनुष्य अपने पालनहार की याद से गाफिल हो जाए तो दूसरी बार अपने पालनहार से सम्बन्ध ताज़ा करे अर्थात् यह वह मार्ग है जिसके जरिए मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। सबसे पहला कार्य जो मनुष्य अपने दिन के आरम्भ में करता है वह नमाज़ है। इसलिए कि दिन की पहली नमाज़ का समय सूर्योदय से पहले आरम्भ होता है और सूर्यास्त पर समाप्त होता है। और दिन के पहले आधे भाग में काम के अन्तर के बाद किसी प्रकार की भूल हो सकती है इसलिए दोपहर की नमाज़ ( जुहर ) का

समय आता है ताकि मनुष्य को उसकी पवित्रता दूसरी बार प्राप्त हो और वह अपने अल्लाह के साथ उसको जोड़ दे ताकि वह अपने जीवन के सब विषयों में कृपा और सच्चाई और मृत्यु के बाद दया की प्रार्थना करें।

इस प्रकार नमाज़ पापों और गलतियों की इस गन्दगी को जो उसे लग जाती है मिटा देती है। इसी प्रकार एक नमाज़ से दूसरी नमाज़ तक होते रहता है। यहाँ तक कि वह अपने पालनहार से जा मिलता है। हज़रत मुहम्मद स.अ.व. ने कहा है,

“अगर तुम में से किसी के घर के द्वार के समक्ष कोई दरिया हो जिसमें वह हर दिन पांच बार स्नान करता हो क्या उसका मैन कुछ कभी शेष रहेगा, हज़रत मुहम्मद स.अ.व. के साथियों (सहाबा) ने कहा नहीं, आपने कहा, इसी प्रकार पांच नमाज़ें हैं जिनके ज़रिये अल्लाह दोषों को मिटा देता है।” (हदीस)

मस्जिद में इन नमाज़ों को पढ़ना मुसलमानों को एक दूसरे के साथ ऐसे वातावरण से जोड़ देता है,

जिस पर भाई-चारा सहायता और दया छाई रहती है। नमाज़ निर्लज्जता और बुराई से बचाती है और सब विषयों में भक्त के लिए सहायक होती है

“ और तुम सहायता प्राप्त करो सहनशीलता और नमाज़ से । ” ( २: १५३ )

### ३. ज़कात :-

ज़कात धन द्वारा एक पूजा है जो धनवानों के धन में, हर प्रकार के धन के निर्धारित मात्रा में एक मुख्य सम्बन्ध से, वर्ष में एक बार देना आवश्यक होता है। जो धनवानों से लेकर दरिद्रियों को उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिए दी जाती है। इस प्रकार ये एक ओर एक निर्धन की आवश्यकता को पूरा करने का साधन है और दूसरी ओर धनवानों के लिए ऐसा पवित्रता का साधन है जो उसको धन के प्रेम से मुक्ति देता है। जिसका प्रेम मनुष्य के नफसों में रखा गया है।

“ और तुम धन से बहुत प्रेम करते हो ”

( ५९:२० )

जैसा कि वह ( ज़कात ) धन को बढ़ाती है उसको

उन्नति देती है।

“दान देने से धन कम नहीं होता बल्कि वह उसको बढ़ाता है।” (हदीस)

इसके जरिए धन में ज्यादाती और मनुष्यों में तंगदिली, बचाने और खुदगरजी से पवित्रता, प्राप्त होती है। ज़कात मुसलमानों के बीच समाजिक सहायता के प्रदर्शनों में से एक प्रदर्शन है ताकि उनमें का धनवान अपने निर्धन भाई पर दया करे और निर्धन धनवान से प्रेम करने लगे। सबसे बढ़कर यह कि ये (ज़कात) अल्लाह की पूजा और उसके आदेश को पूरा करना है, और उसको प्रसन्न रखने का साधन है।

#### ४. रोज़ा (उपवास) :-

रोज़ा में अल्लाह की आज्ञापालन के कुछ पहलु सम्पूर्ण होते हैं और इसी से अनुसरण और अपनी इच्छा की पूर्ति के कुछ लक्ष्यों को शक्ति प्राप्त होती है इस प्रकार वह एक पूजा, अल्लाह के समीप होने, लक्ष्य को शक्ति और चरित्र के पवित्र करने का साधन है। इन्द्रियों को वश में रखने और प्ररोक्षत को सही करने का साधन है और वह



अल्लाह के डर ( तक्वा ) का साधन है।

“ तुम पर उपवास फर्ज ( अनिवार्य ) किया गया है जैसा कि उन लोगों के लिए फर्ज ( अनिवार्य ) किया गया था जो तुम से पहले बीत गए हैं ताकि तुम संयमी बन जाओ। ”

( २:१८३ )

उपवास पहली जातियों पर भी उनके हृदयों को पवित्र व स्वच्छ करने और जीवन की कठिनाईयों में उससे सहायता लेने के कारण से अनिवार्य ( फर्ज ) किया गया था क्योंकि वह सहनशीलता का एक प्रकार है, और सहनशीलता लक्ष्य के प्राप्त करने का महान साधन है।

“ और सहनशीलता व नमाज़ के द्वारा सहायता प्राप्त करो। ” ( २:१५३ )

५. हज :-

इस्लाम के कृत्यों का यह कृत्य दूसरे कृत्यों के साथ इनके सब लक्ष्य व आकांक्षाओं से मिला जुला है। इसलिए उपवास में सहनशीलता कि, खाना, पानी और इन्द्रियों की इच्छाओं को छोड़ने के लिए शक्ति का, इन्द्रियों का अभ्यास होता है। इसी प्रकार हज

में भी यात्रा की कठिनाईयां, पत्नी व बच्चों, नगर और इच्छाओं को छोड़ने पर धैर्य करना होता है। और ज़कात के जैसा है क्योंकि इसमें धन का खर्च है और जहाँ तक नमाज़ से इसके मिलने का सम्बन्ध है शारीरिक क्रियाओं में बहुत सी बातें हैं जैसे 'तवाफ' व 'सई' है और हज के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए इधर-उधर आना-जाना होता है और उसमें 'तलबिया' व 'अज़कार' जैसे दूसरे कार्य भी हैं। इस प्रकार वह एक धनी, शारीरिक और प्ररोक्षित पूजा है और नमाज़ से इस प्रकार मिलती जुलती है कि इसमें सब मुसलमानों का एक ही समय में एक ही स्थान पर एकत्र होना है यह कि 'अफर्' के दिन सब मुसलमानों का वस्त्र, उनके देशों और भाषाओं के अतिरिक्त एक ही होता है, और जो दिखता है उसके लिहाज़ से एक सम्मेलन है जिसमें मुसलमानों के सब दल, विभिन्न देशों रंगों और भिन्न अवस्थाओं के होने के अतिरिक्त, इकट्ठा होते हैं और आवश्यक है कि वह इस सम्मेलन में अपने हालात का मिलकर अध्ययन करें और अपनी कठिनाईयों और समस्याओं को हल

करें, इसलिए हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने अफ़ात और 'मिना' (स्थान के नाम) में लोगों को सम्बोधित किया और उनको अपने अल्लाह का आदेश पहुंचाया और उन पर अल्लाह को साक्षी रख कर कहा कि आपने उन तक अल्लाह का संदेश पहुंचा दिया है और उनके लिए अल्लाह के दूत (हज़रत मुहम्मद स०अ०व०) के जीवन में अति उत्तम नमूना है।

यह सारे कार्य असल में अल्लाह के आदेश का आज्ञापालन है, जबकि हज़रत इब्राहीम काबा को बनाने का कार्य पूरा कर चुके तो उनको अल्लाह ने आदेश दिया कि वह लोगों में एलान कर दें कि अल्लाह ने तुम पर अपने घर का हज फर्ज़ (अनिवार्य किया है, इसलिए हज किया करो -

"और लोगों में एलान कर दो हज का। वे आएँ तेरे पास पैदल और हर दुबले ऊँट पर सवार हर दूर दराज़ घाटी से।" (२२:२७)

यदि मनुष्य इस्लाम के इन सब कृत्यों को अल्लाह को पालनहार मानते हुए, इस्लाम को धर्म स्वीकार करके, हज़रत मुहम्मद स०अ०व० पर नबी और रसूल

की हैसियत से ईमान रखते हुए, पूरा करे और इसी पर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका अन्त, अल्लाह के आदेश से अल्लाह की प्रसन्नता और स्वर्ग में प्रवेश है। अगर उसने ये कार्य हृदय से ईमान के बिना किये हों तो उसे कोई लाभ नहीं होगा और न वह अपने पालनहार के दण्ड से बचेगा, यद्पि उसका रूप मुसलमान जैसा नज़र आए। इसलिए हृदय में ईमान होना ज़रूरी है।

### ईमान के कृत्य

इस्लाम के कृत्य के वर्णन में यह बात आ चुकी है कि इन कृत्यों में सबसे बड़ा कृत्य इस बात की गवाही देना है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है और हज़रत मुहम्मद स०अ०व० अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत मुहम्मद स०अ०व० के रसूल होने की गवाही देने का आग्रह इस बात पर ईमान लाना है कि आप (हज़रत मुहम्मद स०अ०व०) अल्लाह की ओर से सब मनुष्यों की ओर भेजे गये हैं और यह कि उन सब बातों में जिनकी हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने सूचना दी है, आप को सच्चा जाना जाए और उन सब

आदेशों का पालन किया जाए जिनका आपने आदेश दिया है और जिन कार्यों से आपने मना किया है बचना जरूरी है। उन सब कार्यों जिनका आदेश दिया गया है अल्लाह के देवदूतों ( फरिश्तों ) , उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान लाना और प्रलय के दिन पर ईमान लाना है इसी प्रकार अच्छे और बुरे भाग्य पर ईमान लाना भी है, यही ईमान के कृत्य हैं और उनका संक्षिप्त अर्थ प्रस्तुत है :-

**१ . अल्लाह पर ईमान :-**

अल्लाह पर ईमान की आग्रह इस बात का पक्का व पूरा विश्वास होना है कि अल्लाह पूरी सृष्टि में किसी पर निर्भर नहीं है।

“ वह किसी का पिता नहीं और न किसी का पुत्र है। ” ( ११२:३ )

वह पत्नी तथा पुत्रों से स्वच्छ, गुणों में विशेषता से परिपूर्ण है।

“ वह अमर रहने वाला है उसको न ऊँघ आती है और न निद्रा, सब उसी का है जो कुछ आकाश में है और जो कुछ धरती में है, कौन है जो उसके

पास सिफारिश करे किन्तु उसकी आज्ञा से।" (२:२५५)

इसलिए इस बात पर ईमान लाना आवश्यक है कि वह अमर है उस पर ऊँघ नहीं आती और यह कि वह सदा जागते रहने वाला है न सोता है न ग़ाफिल होता है। और यह कि हर वस्तु उसकी सम्पत्ति है किसी की सिफारिश उसके पास लाभ नहीं पहुंचाती किन्तु उस मनुष्य की जिसको वह अनुमति दे और ये कि वह अकेला है उसके पालनहार होने में उसके पूजनीय होने में उसके नामों तथा गुणों में उसका कोई भागीदार नहीं। और यह कि उसके और उसका प्राणियों के बीच कोई माध्यम व अभिप्राय नहीं है। वही है जिसके हाथ में उनकी रोज़ी है और उनके लाभ, हानि, जीवन तथा मृत्यु का अधिकार है, वह उनकी प्रार्थना को सुनता है तथा संकट में मनुष्य की प्रार्थना को जब वह उसको पुकारता है तो वह स्वीकार करता है। सब प्राणी उस पर निर्भर हैं और वह किसी पर निर्भर नहीं है। इस पर ईमान लाना व विश्वास करना मनुष्य को ऐसा बना देता है कि वह अल्लाह के सिवा किसी

पर आशा नहीं रखता तथा उसके सिवा किसी से नहीं डरता यद्यपि किसी दूसरे के बिना कोई सम्बन्ध और बिना विनती के मांगा नहीं जा सकता और यह कि अल्लाह को छोड़कर सब प्राणी किसी को लाभ तथा हानि पहुंचाने की शक्ति नहीं रखते और यह बात की उसका अभियोग लोग करते हैं कि अल्लाह के पास उनकी सिफारिश करने वाले होंगे, जिनको वह औलिया के नाम से याद करते हैं, वह उनकी कब्रों पर उनसे सिफारिश की आशा करते हैं और उनसे लाभ प्राप्त करने जाते हैं, वह असत्य है और उस अल्लाह के साथ शिर्क ( भागीदार बनाना ) है जो सदा जीवित रहने वाला, धरती तथा आकाश को पकड़ने वाला, जानने वाला और शक्ति वाला है।

२. देवदूतों ( मलाइका या फरिश्तों ) पर ईमान :-

देवदूतों पर ईमान लाना इन छिपे हुए कार्यों से है जो अल्लाह ने अपने रसूल हजरत मुहम्मद स०अ०व० को बताया हैं। फरिश्ते वह सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं जो अल्लाह के किसी आदेश के विरुद्ध नहीं जाते और

वही करते हैं जिसका कि आदेश दिया जाता है। अल्लाह ने उनको अपनी पूजा के लिए जन्म दिया है और उनके लिए कुछ कार्य निधारित कर दिये हैं जिनको वह पूरा कर देते हैं जैसा कि अल्लाह ने उनके सम्बन्ध में बताया है और उस विश्वास का खंडन किया है जो कुछ लोग उनके बारे में बिना जानकारी के रखते हैं कि वह अल्लाह के पास सिफारिश करेंगे और इस विश्वास का खंडन किया है कि वह अल्लाह की पुत्रियां हैं। यह बात उन लोगों ने घड़ ली है।

जैसा कि देवदूतों के होने पर ईमान लाना आवश्यक है इसी प्रकार इन बातों पर भी इमान लाना आवश्यक है जो अल्लाह ने बताई है और उसके रसूल ने उसके बारे में जानकारी दी है कि जिबरील भी फरिश्तों में से हैं और वह उन सब ईशदूतों पर आकाशवाणी लेकर आते रहे हैं जिनको अल्लाह ने अपने भक्तों की ओर भेजा था। और यह कि कुछ रक्षक देवदूत हैं जो मनुष्य के कार्यों को लिखते हैं और उनको सुरक्षित रखते हैं और यह कि कयामत ( प्रलय ) के दिन ये लेखा-जोखा



उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो वह जान लेगा और उन में से किसी कार्य को अस्वीकार नहीं कर सकेगा। और अगर अस्वीकार करेगा तो उसके अंग जिन्होंने वह कार्य किया उसके विरुद्ध गवाही देंगे।

### ३. किताबों पर ईमान :-

उन पुस्तकों पर जो अल्लाह ने अपने ईश दूतों पर उतारी थीं। ईमान लाना ईमान के कृत्यों में से एक कृत्य है उन किताबों को सच्चा जानना और यह विश्वास रखना कि वह अल्लाह की ओर से है आवश्यक है उन पर ईमान दो प्रकार का होता है

१. संक्षिप्त ( मुजमल ) ईमान :- हर उस पुस्तक पर जो अल्लाह के ईश दूतों में से किसी ईश दूत पर उतारी गई हो, ईमान लाना चाहे हम उसका नाम जानते हों या न जानते हों।

२. विस्तरित ( मुफस्सल ) ईमान :- हर उस पुस्तक पर ईमान लाना आवश्यक है जिसका नाम विशेष प्रकार से बताया गया है। जिन किताबों के नाम कुरआन में बताए गये हैं वह चार

हैं और कुरआन पंचम किताब है।

( १.) कुरआन :- जो हमारे हाथों में मौजूद है वह किताब है जो हज़रत मुहम्मद स.अ.व. पर उतारी गई है।

( २.) तौरात :- जो हज़रत मूसा ( अ.स. ) पर उतारी गई है।

( ३.) इंजील :- जो हज़रत ईसा ( अ.स. ) पर उतारी गई है।

( ४.) ज़बूर :- जो हज़रत दाऊद ( अ.स. ) पर उतारी गई है।

( ५.) सहफ इब्राहीम :- जो हज़रत इब्राहीम ( अ.स. ) पर उतारी गई है।

यह बात हम जान गये हैं कि इन किताबों पर ईमान लाना आवश्यक है तो क्या हर इस किताब पर ईमान लाना आवश्यक है, जो आज लोगों के हाथों में है ? क्या यह वही है जो उन ईश दूतों पर उतारी गई थी ? यह एक संक्षिप्त प्रश्न है और इसका उत्तर यह है कि वह सब किताबें जो कुरआन से पूर्व आ चुकी हैं उनका जो नमूना आज लोगों के हाथों में है, वह नहीं है जो ईश दूतों पर उतारा

गया था। किन्तु ऐसा निम्नलिखित कारणों से हो सकता है :-

१. इन पुस्तकों के सच्चे बोध मौजूद नहीं हैं और जो मौजूद हैं वह उनके अनुवाद हैं, इन अनुवादों में से इनके अमल के साथ अनुवाद तथा सुस्पष्टता करने वालों के विचार मिल गये हैं।

२. असल किताब उस रसूल के युग में लिखी नहीं गई बल्कि शताब्दियों के बाद उन बोधों में लिखी गई है जिसको उस रसूल के मानने वालों ने प्रतिलिपि किया था जैसा कि इंजील का हाल है अथवा फिर उसका बोध नष्ट हो गया। फिर दूसरी बार उस बोध से लिखा गया है जिसको उस रसूल के मानने वालों ने लिखा था जैसा कि तौरत के साथ हुआ।

३. यह सब किताबें साधारण मनुष्यों के लिए नहीं थी बल्कि हर पुस्तक मुख्य समुदाय के लिए थी क्योंकि रसूलों के आने की क्रिया उसके बाद भी समाप्त नहीं हुई बल्कि हर एक रसूल अपने बाद आने वाले रसूल की सूचना देते थे।

४. वह भाषायें जिन में वह किताबें

उतारी गयी थी उनमें परिवर्तन आ गया। आज उनको कोई जान नहीं सकता। अगर कोई लिखी हुई वस्तु उन भाषाओं में पाई जाए तो उससे यह दलील लेना सही नहीं होगा कि यही असल पुस्तक है, जब की उसमें जो कुछ है समझा न जा सके।

परन्तु कुरआन वह अपनी असल हालत पर उसी प्रकार शेष है जैसा कि हज़रत मुहम्मद स॰अ॰व॰ पर उतारी गई थी। ऐसा निम्नलिखित कारणों के आधार पर है :-

१. अल्लाह ने उसकी रक्षा का जिम्मा लिया है जैसा कि स्वयं कुरआन में आया है।

“ निःसंदेह हम ने ही कुरआन को उतारा है और हम ही उसकी रक्षा करने वाले हैं।”

( १५:९ )

२. यह पुस्तक नबी के युग में ही लिख दी गई थी जब भी कोई पद ( आयत ) व सुरत ( अध्याय ) उतरती तो रसूल लेखक को आदेश देते की कुरआन के उस उस स्थान में जहाँ अब वह है, उसको लिख दे। उसी प्रकार हज़रत मुहम्मद स॰अ॰व॰ के साथियों ने इसको याद किया, और

उतरने के कारण और उन के स्थानों को भी याद किया और उसको विशेष किताबों में लिख दिया।

३. हज़रत जिबरील हर वर्ष नबी ( स० अ०व० ) को कुरआन सुनाते। और जिस वर्ष आप ( हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ) की मृत्यु हुई दो बार सुनाया।

४. कुरआन को नबी के युग में और हज़रत मुहम्मद स०अ०व० के बाद भी लोगों के सीने में सुरक्षित कर दिया गया, अब कोई मनुष्य उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर लिखने में कोई परिवर्तन कर दिया गया होता तो उसको याद रखने वाले उसको पकड़ते और अनुभव करते तथा उस चूक को निकालते।

५. वह भाषा जिसमें वह उतारी गई थी अब तक शेष है, और उसमें अब तक कोई परिवर्तन नहीं आया। हर वह मनुष्य जो इस भाषा को अच्छे प्रकार से जानता हो वह कुरआन पढ़े तो उसकी मांगों को और उन लक्ष्यों को जान सकता है जो उसके शब्दों में समझ में आता है।

६. जो लोग अनुवाद करने में व्यस्त रहे

उन लोगों ने अपने अनुवाद तथा सुस्पष्टता को असल कुरआन की रक्षा के लिए कुरआन के पदों से अलग कर दिया है। कुरआन सुरक्षित होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि अगर आप अरब तथा दूसरे देशों में छापे हुए कुरआन के कुछ बोधों को लें तो आप उनके पदों को एक जैसा पाएंगे। दूसरी किताबों के विरुद्ध जिनके बोध और भाषाएँ पहचान योग्य नहीं रह गई है।

७. कुरआन अनन्तम पुस्तक है जो आखिरी रसूल पर उतारी गई है। इसलिए विद्या तथा तदबीर का आग्रह तथा इसकी रक्षा का प्रबन्ध किया जाए।

अगर उसमें परिवर्तन आता तो मनुष्यता बिना किसी ऐसी किताब के रह जाती जिसकी ओर ध्यान कर सके। ईश्वर की विद्या तथा तदबीर, दोनों का आग्रह था कि ईश्वर अपने प्राणी को नष्ट न कर अथवा उनको उनकी इच्छाओं तथा विचारों को सौंप कर उनको अज्ञानता तथा गुमराही के अन्धेरो में भटकने के लिए न छोड़ दे।

४. ईश दूतों (रसूलों व पैगम्बरों) पर ईमान

रसूलों पर ईमान लाना भी ईमान के कृत्यों में से एक कृत्य है। उन में से कुछ पर ईमान लाना और कुछ पर ईमान न लाना सही नहीं हो सकता बल्कि उन सब पर विस्तार अथवा विवरण के साथ ईमान लाना आवश्यक है। इसीलिए हर रसूल पर जिसको अल्लाह ने भेजा है, ईमान लाना आवश्यक है चाहे हम उनका नाम जानते हों अथवा न जानते हों। किन्तु जिनके नाम का विवरण किया गया है उस पर विस्तार के साथ ईमान लाना आवश्यक है। अल्लाह ने उन सब पर ईमान लाना आवश्यक कर दिया है। इसलिए कि वह एक श्रृंखला के अंश हैं जो एक-दूसरे से मिले हुए हैं, उन में से प्रत्येक अपने से पूर्व रसूल की रिसालत की सम्पूर्णता करता है। यहाँ तक कि अल्लाह ने रिसालत की इस श्रृंखला को हज़रत मुहम्मद स.अ.व. पर समाप्त किया। ( अल्लाह की दया व कृपा हो हज़रत मुहम्मद स.अ.व. पर, और अल्लाह के सब ईश दूतों पर) इस बात का अर्थ यह होगा कि जो मनुष्य कुछ को छोड़कर कुछ पर ईमान लाएं तो ऐसा कि जैसा उसने सबको अस्वीकार किया। इसलिए कि उसने

इस श्रंखला के टुकड़े कर दिये हैं और इससे लाभ उठाना कठिन है। कुरआन में ( २५ ) नबीयों का विवरण आया है और दूसरों के नामों का विवरण नहीं किया गया।

और कुछ रसूलों की कथाएं हमने आपको सुनाई हैं और कुछ रसूल ( ऐसे हैं ) जिनकी कथाएं हमने आपको नहीं सुनाई हैं।

( ४:१६४ )

रसूलों पर ईमान लाना इसीलिए आवश्यक है कि अल्लाह के आदेशों को उसके बिना जानने का कोई साधन नहीं। इसलिए कि वह अल्लाह की ओर से संदेश पहुंचाने वाले हैं। और उनके बीच भेद भाव किये बिना उन सब पर ईमान लाना आपेक्षित है। पर जहां तक हज़रत मुहम्मद स.अ.व. की बात है वह निम्नलिखित कारणों से श्रेष्ठ हैं :-

क. उनमें से जो नबी हज़रत मुहम्मद स.अ.व. से पूर्व बीते हैं वे विशेष अपनी जाति के लिए थे तथा हज़रत मुहम्मद स.अ.व. की रिसालत सभी प्राणीयों के लिए साधारण है क्योंकि हज़रत मुहम्मद स.अ.व. के बाद कोई ईशदूत नहीं



आयेगा।

ख. हज़रत मुहम्मद स०अ०व० से पूर्व बीते हुए रसूलों की शिक्षाएं तथा चमत्कार उनके साथ ही समाप्त हो गईं पर हज़रत मुहम्मद स०अ०व० का चमत्कार शेष है और शेष रहेगा। तथा हज़रत मुहम्मद स०अ०व० की शिक्षाएं सुरक्षित तथा उन किताबों के भीतर लिखी हुई हैं जो लोगों के हाथों में घूमती रहती हैं।

ग. हज़रत मुहम्मद स०अ०व० जो संदेश लाये हैं वह उन सब वस्तुओं पर आधारित है जो हज़रत मुहम्मद स०अ०व० से पहले के रसूल लाये थे इसलिए सब रसूलों की शिक्षाएं तथा रिसालत बड़ी हद तक ऐसे भवन से मिलती जुलती हैं जिसके निर्माण में बहुत से लोगों ने भाग लिया हो, प्रत्येक ने एक भाग का निर्माण किया, यहां तक कि वह सम्पूर्ण हो जाए तथा हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने उसके निर्माण को सम्पूर्ण किया।

५. कयामत ( प्रलय ) के दिन पर ईमान :-

प्रलय के दिन पर ईमान से निम्नलिखित बातों पर ईमान लाना आवश्यक होता है :-

क. इस संसार के सभी प्राणीयों व संसार सहित समाप्ति पर ईमान ।

ख. यह कि अल्लाह हर प्राणी को फिर से जीवित करके उठाएगा ।

ग. यह कि सब लोगों के कर्मों का लेखा-जोखा किया जाएगा, जिसने अच्छा कर्म किया होगा उसका लाभ उसी के लिए है और जिसने बुरा कर्म किया होगा तो उसका नष्ट उसी पर होगा । प्रत्येक को उसके कर्म का परिणाम दिया जाएगा ।

घ. यह कि बन्दों के सब कर्म जो लिखे जा चुके और सुरक्षित कर दिये गये हैं, हिसाब के मैदान में उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे ।

ङ. सब मुस्लिम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और सब काफिर नरक में प्रवेश करेंगे ।

इस विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मृत्यु, जीवन का अन्त नहीं है बल्कि वह सीमित घटित जीवन और सदा रहने वाले जीवन को अलग करने वाली वस्तु है । परन्तु क्या सब के सब एक ही प्रकार का जीवन पाएंगे ? नहीं, निःसंदेह वह भिन्न प्रकार

के होंगे। जिसने अल्लाह का अनुसरण किया था उसके लिए बहुत अच्छा प्रतिशोध है। और जिसने उसकी बातों को अस्वीकृत किया था उसको बड़ा दण्ड मिलेगा। और प्रलय ( कयामत ) के दिन पर ईमान एक सच्ची आवश्यकता है इसलिए कि लोग जीवन में कुछ कार्य करते हैं और उसका बदला प्राप्त नहीं करते और न प्रायः उसके परिणाम उनके समक्ष आते हैं तो क्या आप समझते हैं कि इस दृश्य का ऐसा ही अन्त हो जाएगा कि अत्याचारी को दण्ड न मिले तथा जिस पर अत्याचार किया गया उसको न्याय न मिले ? यह कोई न्याय की बात न होगी। न्याय का होना आवश्यक है परन्तु इस जीवन में नहीं दूसरे जीवन में, उसके प्रमाण के लिए अल्लाह के रसूल का उसकी सूचना देना काफी है। प्रलय के दिन पर ईमान का लक्ष्य यह है कि अच्छे लोग अच्छे कार्यों में प्रयत्न करें और बुरे लोग पाप तथा अपराध करने से बचे रहें। और इस संसार में परीक्षा का लाभ सामने आए।

**६. दैव अथवा भाग्य पर ईमान :-**

भाग्य पर ईमान लाना भी ईमान के कृत्यों में से

एक कृत्य है। अल्लाह किसी के कर्म को इसके बिना स्वीकार नहीं करता तथापि वह रोज़ा रखे तथा नमाज़ पढ़े और अभियोग करे कि वह मुस्लिम है

इसलिए कि सच्चाई में वह अल्लाह पर सही ईमान नहीं लाया अतएव जो व्यक्ति भाग्य पर ईमान नहीं लाता, तो अवश्य समझता होगा कि अल्लाह शक्ति वाला नहीं है और यह कि वह ज्ञानी नहीं और मजबूर तथा असभ्य पूजा के योग्य नहीं हो सकता क्योंकि पूजनीय होने के गुणों में से यह है कि वह जीवित, धामने वाला, शक्ति रखने वाला, सुनने वाला यह सब गुण विशेषताएं रखने वाला हो और भाग्य पर ईमान न लाना अल्लाह की व्यक्तित्व से इन सब गुणों को अस्वीकार करना है।

**भाग्य पर ईमान कि कुछ श्रेणियाँ हैं :-**

क. इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह को सब वस्तुओं का ज्ञान है और उसने उनको जन्म देने से पहले लिख दिया है।

ख. इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह जब किसी वस्तु (कार्य) का निर्माण करना चाहता है तो उससे कहता है 'हो जा' तो वह हो

जाती है। जब किसी वस्तु को उत्पन्न करना चाहता है तो उत्पन्न कर देता है, और जब किसी वस्तु के वजूद को रोक देना चाहता है तो वह उत्पन्न नहीं होती।

ग. इस बात पर ईमान लाना कि सृष्टि में अल्लाह के सिवा हर वस्तु, अल्लाह की उत्पन्न की हुई है चाहे वह अच्छी हो या बुरी। परन्तु उसको किसी कारण के बिना पर उत्पन्न किया है जिसको वह स्वयं ही जानता है। इसलिए उसकी उत्पन्न की हुई वस्तु बिना किसी कारण के नहीं होती इसलिए कि वह जानने वाला तथा उपाय रखने वाला है।

घ. इस बात पर ईमान लाना कि इस सृष्टि में कोई नई बात नहीं होती और न कोई घटना घटती है किन्तु वही जिसके वजूद का अल्लाह निर्णय कर लेता है, और उसको आदेश दिया हो, इसलिए कि सृष्टि उसी का राज्य है। इसलिए कि उसके राज्य में जब तक कि वह आदेश न दे कोई घटना घटित नहीं हो सकती अथवा यह कि वह किसी भी वस्तु के रोकने की शक्ति रखता है जिसका उसने आदेश नहीं दिया हो। वह अपने भक्तों के लिए कुफ्र

को पसंद नहीं करता और निर्लज्ज तथा बुरी बातों का आदेश नहीं देता तथा दंगा को पसंद नहीं करता है। हाँ उसने इन वस्तुओं के घटित होने के किसी कारण के बिना पर नहीं रोकता है। जिसको वह सही समझता है तथा इसलिए भी कि वह परिक्षा की विधि सिद्ध होती है। भाग्य पर ईमान का लाभ यह है कि वह मनुष्य को क्रिया शक्तिदान करता है। क्योंकि उसको इस बात का विश्वास है कि मृत्यु और जीवन अल्लाह के हाथ में है न कि किसी और के हाथ में। इसलिए कि कोई व्यक्ति उसकी आयु से एक मिनट ही कम नहीं कर सकता तथा उसकी मृत्यु को जब आ जाए तो एक पल ही को रोक नहीं सकता। जैसा कि कुरआन में आया है :-

“जब उनकी मृत्यु आ जाए तो वह न एक घड़ी पीछे हो सकती है तथा न आगे हो सकते हैं।”

७:३४

भाग्य पर ईमान मनुष्य को जीवन में शांतिदान करता है। इसलिए कि उसे इस बात का ज्ञान होता है कि जो कुछ उसके लिए लिखा जा चुका है वह

अवश्य मिल कर रहेगा। तथापि सब लोग उसको रोकने के लिए संगठन कर लें तथा जो उसके लिए नहीं लिखा गया है उसकी प्राप्ति की उसको शक्ति न होगी। यद्यपि सब लोग उसकी सहायता के लिए इकट्ठा हो जाएं। और इस लिए भी कि वह जानता है कि इस पर कर्तव्य है कि वह केवल हेतु पर अमल करें, रहे परिणाम, तो वह अल्लाह के हाथ में है। और इन विषयों में जिसकी हमने चर्चा की है और यह जान लिया है कि उन पर ईमान लाना हमारे लिए आवश्यक है। उनमें से कई बातें ऐसी हैं जिनको हमारे शारीरिक चेतनों से समझ नहीं सकते और उसकी हालत को जान सकते हैं तो फिर उनके सम्बन्ध से हमारी अवस्था क्या हो ?

**गायब ( गुप्त व छिपे ) पर ईमान :-**

गुप्त पर ईमान इस धर्म के सूत्रों में से एक सूत्र है, और अल्लाह ने हमें इस पर ईमान लाने की शक्ति दान दी है, अल्लाह का व्यक्तित्व तथा उसकी हालत तथा उसके गुणों का ज्ञान मनुष्य अपने शारीरिक चेतना से नहीं कर सकता, अथवा बुद्धि

भी उनकी कल्पना नहीं कर सकती। परन्तु वह अल्लाह के वजूद से, इस सृष्टि तथा इसमें जो कुछ है, और उसके इस्तमाल के चिन्हों को देखता है। इस मनुष्य पर, जब कि उससे कई वस्तुएं छिपा रखी गई हैं जिनकी सच्चाई जान नहीं सकता, अल्लाह के उपकारों में से बड़ा उपकार यह है कि उसको उन सबको मानने की शक्ति दान की है।

उन विषयों में से, जो हमसे गुप्त हैं और उन पर ईमान लाते हैं जिसको सब स्वीकार करते हैं परन्तु हम उसकी सच्चाई को जान नहीं सकते, एक विषय "आत्मा" है। हम उसके मौजूद होने को जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि वह आती और जाती है। किन्तु छिपे हुए पर ईमान न हो तो मनुष्य धर्म के बहुत से सूत्रों को खो देता है, वह अल्लाह पर ईमान, देवदूतों ( फरिश्तों ) पर ईमान और प्रलय के दिन ( कयामत ) पर ईमान आदि, पर गुप्त बातों पर ईमान को खो देगा।

गुप्त पर ईमान की विशेषता के लिए यह बात काफी है कि अल्लाह ने उसको संयमियों के विशेष गुणों में रखा है।



“यह वही किताब है इसमें कोई संदेह नही संयमियों के लिए आदेश है जो छिपे हुए पर ईमान लाते हैं तथा नमाज़ पढ़ते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से कार्य करते हैं

( २:२ )

इस पर ईमान लाने के लिए यह बात काफी है कि अल्लाह ही ने उन गुप्त वस्तुओं की अपने रसूलों के द्वारा सूचना दी है और इसलिए जो उस पर ईमान न लाए वह अल्लाह तथा उसके रसूलों को झूठ कहने वाला है।

## धर्म तथा इस्लामी धर्म नीति

इस्लामी नीति धर्म से जुड़ी हुई है तथा उस पर अमल करना धर्म को कार्य में लाने के लिए, अल्लाह की एक पूजा ही है। इसलिए कि पूजा, अल्लाह के आदेश की आज्ञा पालन करना तथा उसकी मना की हुई बात से बचने का नाम है। और अल्लाह ने हमको आदेश दिया है कि हम इस वस्तु पर अमल करें जो हमारी ओर उतारी गई है।

“तुम ( इस वस्तु का ) अनुसरण करो जो तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम्हारी ओर उतारी गई है।” ( ७:३ )

“और यह कि यह मेरा मार्ग है सीधा तो तुम उसका अनुसरण करो और मार्गों पर न चलो वह तुम्हें उस मार्ग से अलग कर देंगे।” ( ६:१५३ )

अल्लाह ने अपनी किताब में हर वस्तु को स्पष्ट कर दिया है जिसकी मनुष्यता को आवश्यकता है। तथा अल्लाह के रसूल ने उसका पूरे विस्तार के साथ वर्णन कर दिया है। और हज़रत मुहम्मद स.अ.व. से उसको याद कर लिया गया तथा

उसकी किताब को सुरक्षित कर दिया गया जो हर युग तथा हर स्थान पर लोगों के हाथों में घूमती रही है।

मानव को याद दिलाने के लिए इस्लामी उपायों का सारांश :-

१. धर्म :- अल्लाह ने धर्म को सही रखने तथा परिवर्तन और अयोग्य के हवाले से सुरक्षित करने के लिए रसूलों को भेजा तथा किताबें उतारी और अल्लाह के मार्ग में जिहाद की इन रूकावटों को दूर करने के लिए नियुक्त किया जो लोगों को सही दृष्टिकोण से रोकती हैं तथा उन्हें गुमराह करती हैं तथा उनको उनके धर्म से हटा देती हैं और अल्लाह के सिवा दूसरे का भक्त बना देती हैं।

२. बुद्धि :- हर वह वस्तु जो मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल दे अथवा उसको अमल से रोके अथवा उसको गुमराह कर दे तो इस्लाम ने इससे रोक दिया है चाहे वह खाए जाने वाली वस्तु हो अथवा पी जाने वाली, वह सब हराम है।

“शराब तथा जुआ तथा भेंट ( जो देवी व

देवताओं को दी जाती है ) और शगुन के तीर सम्पूर्ण अपवित्र ( वस्तुएं ) हैं ।" ( ५:९० )

३. प्राण की रक्षा :- हर वह वस्तु जो मनुष्य के जीवन को हानि पहुंचाए, इस्लाम ने उसको हराम कर दिया है। इसलिए किसी मनुष्य के लिए उचित नहीं है कि वह आत्महत्या या शरीर को हानि पहुंचा कर अपने आप पर अत्याचार करे। इसी प्रकार दूसरों पर भी अत्याचार करना उचित नहीं है। इसलिए किसी और की हत्या करना अथवा ऐसी वस्तु को देना जो मनुष्य के शरीर को निर्बल कर दे अनुचित है। इसलिए हत्या में ऐसा नियम बनाया है जो बदला लेता है यानि " प्रतिकार का नियम " जो लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए है। एक हत्यारे की हत्या करना उस पर दया करने से उचित है। और उसको स्वतंत्र छोड़ देना जन साधारण कि हत्या के मार्ग को खुला रखना है। आखिर क्यों दोषी पर दया की जाए तथा जिस पर अत्याचार हुआ उस पर दया न की जाए ?

४. संपत्ति :- नौकरी खोजना तथा धन कमाना एक धार्मिक लक्ष्य है, इसी प्रकार इसकी

रक्षा करना भी है। इसलिए किसी के लिए उचित नहीं है कि धन ऐसी वस्तुओं में खर्च करके जो उसके लिए उचित नहीं है अपने धन को नष्ट करे। यहां तक की खाने - पीने की उचित वस्तुओं में भी ज्यादा खर्च इस्लाम मना करता है। जैसा के कुरआन में आया है।

“खाओ और पियो और अपरिमित व्ययता मत करो।” ( ७:३७ )

जब की मनुष्य के लिए अपने धन को नष्ट करना ठीक न हो तो दूसरों के धन को हड़प लेना और भी उचित नहीं, किसी के लिए उचित नहीं कि लोगों का धन बिना एक दूसरे की इच्छा के चाहे उसमें कोई हानि न हो लेना सही नहीं है, इस प्रकार धन संग्रह करना भी मना है। इसलिए चोर के हाथ काटने का दण्ड तथा सूद के हराम होने का आदेश, लोगों की सम्पत्ति की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है क्योंकि उसमें अत्याचार न किया जाए।

५. आदर तथा मान व मर्यादा :-

इस्लाम आदर तथा मर्यादा की रक्षा चाहता है। किसी के लिए उचित नहीं है कि वह दूसरों को अपनी

मर्यादा पर आक्रमण करने का अवसर दे इसी प्रकार उसके लिए दूसरों कि मर्यादा को भंग करना भी उचित नहीं है। लोगों को उन की मान और मर्यादा और उसका आदर तथा मुल्य की रक्षा की बड़ी इच्छा होती है। इसी कारण इस्लाम ने ऐसे मनुष्य के लिए जो उसकी आदरता को नष्ट करे एक 'हद' के द्वारा मान व मर्यादा की रक्षा की है। इस विधि की स्पष्टता के बाद जो इस्लामी धर्म नीति ने मान तथा मर्यादा की रक्षा के लिए नियुक्त किया है आवश्यक है कि इस्लामी धर्म नीति के उन साधनों को मालूम करें कि जिनसे इन नियमों को लेते हैं।

**इस्लामी धर्म नीति के साधन निम्नलिखित हैं :-**

कुरआन तथा सुन्नत ( अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद स०अ०व० के उपदेश जो कुरआन का वर्णन है ) और ज्ञानियों ने इन दो साधनों से आदेशों को मालूम करने के लिए कड़ा प्रयत्न किया। क्योंकि इस्लामी धर्म नीति आखरी धर्म नीति है। इसलिए

इसकी पंक्तियां व पद हर युग व स्थान के अनुसार आये हैं। इसीलिए इन आदेशों के बीच अन्तर पाया जाता है जिनको ज्ञानियों ने मालूम किया है, उनमें से हर ज्ञानी ने पंक्ति व पद से अपनी समझ के अनुसार मालूम किया है और यह आदेश जो कुरआन तथा सुन्नत से प्राप्त किए गए हैं फिकह :

इस्लामी नियम कहलाते हैं। उनमें से चार वर्ग प्रसिद्ध हैं, इन ज्ञानियों के अनुसार जिनका ज्ञान प्रसिद्ध हुआ है, और जिनके शिष्य बहुत थे वह ज्ञानी हैं :-

इमाम अबु हनीफा

इमाम मालिक

इमाम अहमद बिन हम्बल

इमाम शाफई

जो मनुष्य कुरआन तथा सुन्नत से आदेशों को स्वयं मालूम करने तथा समझने की शक्ति नहीं रखता उसके लिए उचित है कि किसी भी वर्ग के आदेशों को जिन को सही समझता है अथवा जो कुरआन व सुन्नत के मुताबिक हो और जिन पर उसका विश्वास हो उनको अपनाए।

## जिहाद :-

इस्लाम की रक्षा करने और उसको सब लोगों तक पहुंचाने और उसके विरुद्ध खड़े होने वालों को हटाने के लिए अल्लाह ने जिहाद का नियम नियुक्त किया है। इसलिए कि मानवता को उनका सेवक समझने वालों की कैद से स्वतंत्र कराया जाए और सब मनुष्यों को बन्दों के जैसे नेताओं, साधुओं, मुनियों, ऋषियों, कब्रों, वृक्षों, पत्थरों तथा मूर्ति आदि की पूजा से जिन की अज्ञानी मनुष्य पूजा करते हैं, मुक्त कराए और जिन्होंने सही धर्म को छुपा रखा था और अन्धकारों में जीवन व्यतीत कर रहे थे उनको एक अल्लाह की पूजा की ओर लाया जाए और जिहाद सब मनुष्यों को बन्दों की पूजा से मुक्ती दिला कर अल्लाह की पूजा की ओर संकीर्ण जगत से जीवन तथा मृत्यु के बाद की विशालताओं की ओर ले आने के लिए नियुक्त किया है। इस्लाम के इन मौलिक मूलों की स्पष्टता के बाद हम समझ सकते हैं कि उस पर अमल करना व्यक्ति और समाज दोनों



के लिए जरूरी है।

## व्यक्तियों के अधिकार :-

समाज के हर व्यक्ति पर कुछ अधिकार है और कुछ दायित्व भी हैं और वह संक्षेप में चार हैं :-

१. अल्लाह के अधिकार

२. स्वाधिकार

३. बन्दों ( मनुष्य ) के अधिकार

४. उन वस्तुओं के अधिकार जो इस संसार में उसके आधीन हैं जिनसे सेवा लेना तथा लाभ उठाना ठीक है।

हर सच्चे मुसलमान का कर्तव्य है कि उन चारों अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करे और उनको सच्चे मन, श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पूरा करे। इस्लाम की धर्म नीति ने उनमें से हर एक का अलग अलग वर्णन किया है और उनको कैसा पूरा करना है उसको स्पष्ट कर दिया है और उसके लिए नियम नियुक्त किये हैं जो मनुष्यों को उनको पूरा करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार से कि उनमें

से कोई अधिकार जहाँ तक हो सके व्यर्थ न हो।

### १. अल्लाह के अधिकार :-

अल्लाह के अधिकारों में से पहला अधिकार उस पर ईमान लाना और केवल उसी की पूजा करना है। और किसी दूसरे को भगवान न बनाओ और न पालनहार। और उस अधिकार को वाक्य व मूल मंत्र " लाईलाह इल्लल्लाह " पर ईमान लाकर उसको पूरा करें जैसा कि हम इससे पहले स्पष्ट कर चुके हैं।

अल्लाह के अधिकारों में से दूसरा अधिकार यह है कि उस अधिकार तथा आदेश व आज्ञा को जो उसके पास से आया है और हज़रत मुहम्मद स.अ.व. की बातों को मानें, उस पर पूरा विश्वास प्रकट करें, और हज़रत मुहम्मद स.अ.व. के अल्लाह के दूत ( रसूल ) होने की गवाही देने का भी यही अर्थ है जिसको पहले ही हमने बताया है।

अल्लाह के अधिकारों में से तीसरा अधिकार यह है कि उसका अनुसरण करना चाहिए और यह अधिकार उस नियम के पालन के द्वारा करें जिसको अल्लाह की पवित्र पुस्तक ( कुरआन ) ने वर्णन किया और बताया है और हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने उसको स्पष्ट किया है जिसे हम इससे पहले बता चुके हैं।

अल्लाह के अधिकारों में से चतुर्थ अधिकार यह है कि मनुष्य पर जो कर्तव्यों तथा दायित्वों को लागू किया गया है उनकी पूर्ति करना है जिसका पहले वर्णन किया गया है और यह अधिकार क्योंकि दूसरे अधिकारों से ज्यादा विशेष है, आवश्यक है कि उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं अपनी तथा दूसरों के अधिकार का बलिदान दे, जैसा कि मनुष्य नमाज़ या रोज़ा की पूर्ति करने का निश्चय करता है तो वह अपने नफस के बहुत से अधिकारों का बलिदान कर देता है, सवेरे उठता है ठंडे पानी से वजू करता है और अपने बहुत से जरूरी काम तथा क्रियाओं को रात-दिन में कई बार नमाज़ पढ़ने के लिए छोड़ देता है और रोज़ा रखने के लिए खाना पानी छोड़

देता है और पूरे महीने अपनी इन्द्रियों को दबा कर रखता है और ज़कात देने के लिए धन व सम्पत्ति के प्रेम पर अल्लाह के प्रेम को प्रिय रखता है और हज के लिए यात्रा की कठिनाईयों तथा परिश्रमों का सामना करता है और बहुत-सा धन खर्च करता है, और जिहाद में तन, मन तथा धन का बलिदान करता है और इसी प्रकार अल्लाह के अधिकारों को पूरा करने के लिए दूसरों के अधिकारों का कम या ज्यादा बलिदान कर देता है। जैसा कि नमाज़ पढ़ने के लिए दास अपने स्वामी की सेवा करने से रह जाता है यद्पि अपने पालनहार अल्लाह की पूजा करे और उसका अधिकार जो उस पर जरूरी है पूरा करे, हज के लिए अपनी रोज़ी तथा व्यापार को छोड़ देता है, और अपनी पत्नी तथा बच्चों को छोड़कर अल्लाह के घर की यात्रा करता है जो निःसंदेह बहुत से अधिकारों पर प्रभाव डालता है। जिहाद में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या कर देता है वह केवल अल्लाह की प्रसन्नता के लिए करता है, इसी प्रकार मनुष्य अल्लाह के अधिकारों को पूरा करने के लिए बहुत सी ऐसी वस्तुओं का बलिदान करता है जो

उसके आधीन में होती हैं जिन का वह प्रयोग करता है, जैसे की पशुओं का बलिदान करता है और धन खर्च करता है।

अल्लाह ने अपने अधिकारों के लिए भी सीमाएं बांधी है कि उसके बन्दों पर आवश्यकता से ज्यादा बोझ न पड़े, जैसे कि नमाज़ में ही देखें उसके पढ़ने में अल्लाह ने कष्ट व तंग करने का निश्चय नहीं किया है बल्कि उसमें सरलता व सहजता चाही है। यदि पानी न मिले या आप रोगी हों तो वजू के बदले में आप पवित्र मिट्टी पर दोनों हाथ फेरकर मुख तथा हाथों पर फेर ले सकते हैं जिसे "तैयुमुम" कहा जाता है, और अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो बैठकर अथवा लेटकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। अपनी नमाज़ में जो कुरआन पढ़ते हैं वह इतना कम होता है कि उसके पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। इस्लाम की नीति कहती है कि यदि आप चैन व शान्ती की अवस्था में हों तो आप जितना चाहो कुरआन पढ़ो जैसे बड़े सुरहः ( अध्याय ) सुरहः बक्रा, सुरहः अल-ईमरान व सुरहः निसा आदि। परन्तु अगर

आप इमाम हैं तो अपनी नमाज़ को लम्बी करना उचित नहीं क्योंकि आपके पीछे ऐसे लोग होंगे जो छोटी नमाज़ पढ़ना चाहते हों, फिर यह बात अल्लाह पसन्द करता है कि मनुष्य को जो नमाज़ उसने बताई है उसके अतिरिक्त भी पढ़े और उसके निकट होने का प्रयत्न करे, परन्तु वह कभी यह नहीं चाहता है कि अपना सुख तथा चैन हराम कर लें और रोज़ी व व्यापार के समय को पूजा में बिता दें या अपने जीवन के सब विषयों से अलग होकर नमाज़ ही पढ़ते रहें और अल्लाह के बन्दों के जो अधिकार तुम पर नियुक्त हैं उनका कोई ध्यान न करे

इसी प्रकार रोज़ा ( निर्जल व्रत ) में भी अल्लाह ने बहुत सी सुविधाएँ रखी हैं। उसने रोज़ा अपने बन्दों पर वर्ष में केवल एक महीने के लिए ही नियुक्त किया है। रोग तथा यात्रा में होने पर इस महीने के रोज़े छूट गये हैं तो दूसरे दिनों में रख सकते हैं और रोज़े के लिए जो समय नियुक्त किया गया है उसमें एक क्षण भी अधिक करना उचित नहीं है। रोज़ा रखने वालों के लिए उस समय तक खाना-पीना उचित नहीं है

जब तक की उषाकाल हो फिर जब सूर्य अस्त हो तुरन्त ही जलपान कर लेना चाहिए, फिर अल्लाह, रमजान के महीने के रोज़ों के अतिरिक्त भी रोज़े रखने वालों को पसन्द करता है। परन्तु यह बात पसन्द नहीं करता कि एक साथ रोज़े रखे और अपने शरीर को कष्ट पहुँचाए और अपने कार्यों को छोड़ कर घर में बैठे रहें।

इसी प्रकार सम्पत्ति की ज़कात ( दान ) की मात्रा को बहुत ही कम रखा है। और उसको भी केवल धनवानों के लिए नियुक्त किया है। जो निर्धारित मात्रा से अधिक धन रखते हैं यदि कोई मनुष्य उससे बढ़कर अपनी प्रसन्नता से दान करे तो अल्लाह अपने भक्तों के इस अमल को पसन्द करता है, परन्तु वह अपने दास से यह नहीं चाहता के अपने प्राण तथा घरवालों के अधिकारों का बलिदान दे और अपनी पूरी सम्पत्ति को दान कर दे और लोगों के बीच असहाय तथा हताश रह जाए बल्कि इस विषय में आप बीच का मार्ग अपनाइए।

फिर हंज पर विचार करो इस विषय में सब को

मालूम है कि अल्लाह ने इसको केवल उन लोगों के लिए रखा है जो यात्रा का खर्च करने की शक्ति रखते हैं और जो लोग यात्रा की कठिनाईयों को तथा कष्टों को उठाने के योग्य होते हैं। और फिर अल्लाह ने उसमें और सुविधा रखी है। अल्लाह ने मनुष्य पर पूरे जीवन में केवल एक बार हज को अनिवार्य किया है, और अगर वह रास्ते के भय या खर्च के लिए धन न हो तो प्रतीक्षा करे जब तक की वह इसके योग्य न हो जाए। इसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि वह हज के लिए माता-पिता की स्वीकृती प्राप्त करे - उसके न होने पर अपने बूढ़ेपन तथा लाचारी के कारण से कष्ट न उठाए। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अल्लाह ने अपने अधिकारों की तुलना में, अपने बन्दों के अधिकारों का बहुत ध्यान रखा है।

अपने अधिकारों का सबसे बड़ा बलिदान, मनुष्य जिहाद में देता है इसलिए कि मनुष्य जिहाद में अपने प्राण तथा सम्पत्ति की अल्लाह की सन्तुष्टता के लिए तथा अल्लाह के नाम को ऊंचा रखने के लिए बलिदान करता है और यह सब कुछ वह उसके



मार्ग में उसकी सन्तुष्टी के लिए करता है। अल्लाह ने आदेश दिया है कि अपाहिजों, महिलाओं, बच्चों और घायलों पर अत्याचार न करें। असत्यवादियों में से केवल उन्ही लोगों से युद्ध करें जो उनसे युद्ध करते हों, और शत्रु की भूमि पर भी बिना किसी कारण तथा आवश्यकता के दंगा करते न फिरें। अल्लाह उन पर यह बात लागू करता है कि शत्रुओं के बीच भी न्याय करें अगर उनके नगरों को विजय कर और उनको नियंत्रण में कर लें तो जो कुछ उनसे समझौता करें उसको पूरा करो और उन्हें उन असत्यवादियों पर जोर व जुल्म की इजाजत नहीं जो सत्य से दुश्मनी और असत्य की सहायता न करे और हाथ रोक ले। यह सब बातें इस बात का प्रमाण देती हैं कि अल्लाह ने अपने अधिकार को पूरा करने के लिए, मानवता के उन अधिकारों के बलिदान के सिवा कोई और मार्ग न हो, मानवता के अधिकारों को नष्ट करने को अनुचित रखा है।

## २. स्वाधिकार :-

अब आप मनुष्य के अधिकारों में से दूसरी किस्म को ले लो जो उसके जीवन के बारे में है क्योंकि वह अपने आप पर उससे बढ़कर अत्याचार करता है जितना कि दूसरे पर इसलिए कि हर मनुष्य अनुभव करता और विचार करता है कि उसके जीवन दूसरे के जीवन से ज्यादा प्रिय है। और मैं नहीं समझता कि कोई मनुष्य इस बात को स्वीकार करेगा कि वह स्वयं अपने जीवन का शत्रु है परन्तु अगर आप इस विषय पर ज़रा ध्यान करें तो सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी।

मनुष्य की सबसे बड़ी विवशता जिस पर मनुष्य को जन्म दिया गया है कि जब वह किसी इच्छा के आधीन में आ जाता है तो वह पूरी तरह उसका दास बन जाता है और उस हानि की चिन्ता नहीं करता जो उसके कारण स्वयं अपने आप को पहुँचती है, चाहे वह उसका अनुभव करे या न करे और तुम किसी व्यक्ति को देखो जो नशे की बुराई में फँसा हो तो वह उसके लिए अन्धा हो जाता है और उसके लिए ऐसे घाटे को स्वीकार कर लेता है

जो उसके स्वास्थ्य उसके धन तथा मान को बरबाद करने वाले होते हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो अपनी वासना का दास बन चुका है वह ऐसे कार्य करता है जो उसकी मृत्यु का कारण होते हैं और ऐसे मनुष्य को देखो जिस पर अपनी आत्मा की मुक्ति की इच्छा उठती है तो वह अपनी आत्मा को पवित्र बनाने तथा उसकी उन्नति के लिए सारे संसार से कट जाता है और अपने जीवन के साथ शत्रुता का व्यवहार करता है और अपने आप का दुश्मन बन जाता है। और चाहता है कि हर उस स्वाद तथा इच्छा को दबा दे जो उसको दिखाई दे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विवाह करने से प्रथक करता है, और जलपान तथा वस्त्र पहनने से बचता है और उसको पसन्द नहीं करता यहाँ तक कि वह इस दुनियाँ में जो उसकी दृश्य में है, साँस लेने को भी उचित नहीं समझता, इसलिए वनों में शरण लेता है और समझता है कि यह संसार उसके लिए नहीं बनाया गया है। इस संसार में मनुष्य की दृढ़ता के यह कुछ उदाहरण हैं और ऐसे तो कई प्रकार के दृश्य सामने आते हैं

जिनको हम सुबह - शाम देखते हैं। क्योंकि इस्लामी धर्म नीति उसकी भलाई तथा लाभ चाहती है इसलिए वह एक सही वास्तविकता पर सावधान करती है।

“ निःसंदेह तेरे प्राण का तुझ पर अधिकार है ।” ( हदीस )

इस्लामी धर्म नीति हर उस वस्तु से जो उसके लिए हानिकारक है जैसे, शराब, गांजा आदि नशा लाने वाली वस्तुएं, मरे हुए पशु ( जिनको इस्लामी विधि के अनुसार न काटा गया हो ) रक्त, सुअर का मांस, मांस खाने वाले पशुओं, घातक तथा अपवित्र पशुओं के मांस से भी रोकती है। क्योंकि इन वस्तुओं के इस्तमाल का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य तथा उसके चाल-चलन, उसकी बुद्धि तथा आत्मा पर बुरा होता है। धर्म नीति लाभदायक तथा पवित्र वस्तुओं को हलाल कहती है और मनुष्य से कहती है कि अपने शरीर तथा अपने जीवन को उन वस्तुओं के प्रयोग के लाभ से वंचित न करें क्योंकि तेरे शरीर पर उनका अधिकार है और उसको नंगा रहने से मना करती है और उसे आदेश देती है कि उस सुविधा से

लाभ उठाए जो अल्लाह ने उसके लिए रखी है और उसके लिए जरूरी है कि वह उन शारिरिक अंगों को छुपाए जिनका खुला रखना बेशर्मी में गिना जाता है। और वह उसको आदेश देती है कि रोजी के कमाने के लिए प्रयत्न करे और आदेश देती है कि बेकार न बैठे, लोगों के सामने सहायता प्राप्त करने के लिए हाथ न फैलाए, अपने आप को भूखा न रखे, उन शक्तियों को कार्य में लाए जो अल्लाह ने तुझको प्रदान किया है, और धर्म नीति के अनुसार सही साधनों के द्वारा उन प्रयोजनों की सहायता लेते हुए जो अल्लाह ने धरती तथा आकाश में तेरी प्रसन्नता, पालन-पोषण तथा सुविधा के लिए उत्पन्न किये हैं, रोजी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे। और वह इस बात की इजाजत नहीं देती कि मनुष्य अपनी इन्द्रियों की इच्छाओं को दबा दे, बल्की उसे अपनी इन्द्रियों की इच्छा को पूरा करने के लिए विवाह करने का आदेश देती है। इन्द्रियों की इच्छाओं को दबाने और दुनियाँ के स्वाद, रंगीनियों से दूर रहने को रोकती है। और कहती है कि यदि तू आत्मा की उन्नति और अल्लाह के निकट

होना चाहता है तो, प्रलय में सफलता चाहता है तो दुनियाँ को छोड़ देने कि कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि इस संसार में उसके उपहारों से लाभ उठाते हुए और अल्लाह के आदेशों के उलंघन से बचते हुए और उसके नियमों तथा धर्म नीति का पालन करते हुए, अल्लाह को याद रखना ही दुनियाँ तथा मरने के बाद सफलता और भलाई का सबसे बड़ा और सफल साधन है। धर्म नीति उस पर आत्म हत्या को हराम करती है और उसे कहती है कि यह जीवन तुझे दिया गया है, अल्लाह ने तेरे पास अमानत की तरह रखा है, इसलिए कि उससे निर्धारित समय तक सेवा लेता रहे, इसलिए नहीं दिया गया है कि उसको नष्ट करे और अपने हाथों से उसको बरबाद कर दे।

### ३. बन्दों के अधिकार :-

इस्लामी धर्म नीति ने जहाँ एक ओर उसको अपने व्यक्तिगत तथा अपने शरीर के अधिकारों को पूरा करने का आदेश दिया है, वही उसको दूसरी ओर

यह भी आदेश दिया है कि इन अधिकारों को इस प्रकार से पूरा न करे कि दुनिया में अल्लाह के दूसरे बन्दों के अधिकारों पर प्रभाव पड़े इसलिए कि वह अपनी इच्छाओं तथा मनोकामनाओं को इस प्रकार से पूरा करेगा तो स्वयं उसकी आत्मा अपवित्र हो जाती है और दूसरों को कष्ट पहुँचेगा। इसलिए धर्म नीति ने लूट-मार, चोरी, बेईमानी, धोखा देना, वचन तोड़ना, सूदखोरी तथा घूस लेना आदि को हराम कहा है। क्योंकि मनुष्य इन तरीकों से जो लाभ प्राप्त करता है वह अधिकतर दूसरों को हानि, दूसरों को दोषी ठहराकर, दूसरों को कलंकित करके प्राप्त करता है, और यह सब वस्तुएं भी अल्लाह के दूसरे बन्दों को कष्ट पहुँचाने की साधन होती हैं। और उसी प्रकार जुआ तथा सट्टा हराम कर दिया है क्योंकि इन सब अवस्थाओं में जो लाभ उसको होता है कई दूसरे मनुष्यों को हानि पहुँचती है। इसी प्रकार उस पर बेईमानी तथा धोखा देने आदि की किस्म के दूसरे धन के विषयों को हराम कर दिया गया है। जिनमें इस बात का भय रहता है कि किसी एक को हानि पहुँचे, और

इसी प्रकार हत्या तथा आतंक फैलाना , दंगा - फसाद करने को हराम किया गया है क्योंकि किसी मनुष्य के लिए यह उचित नहीं है कि किसी के धन तथा सम्पत्ति को दबाव से प्राप्त करने या अपनी इन्द्रियों की इच्छा को पूरी करने के लिए किसी की हत्या कर दे अथवा किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाए। इसी प्रकार उस पर बलात्कार को हराम कर दिया गया है क्योंकि यह सब बुराईयाँ एक ओर उसकी स्वास्थ तथा चाल- चलन को बर्बाद कर देती हैं तो दूसरी ओर समाज में कोई नियम नहीं रहता, निर्लज्जता तथा बेहयाई के फैलने का कारण बनते हैं, उसका परिणाम यह होता है कि समाज में गन्दी बिमारियाँ जन्म लेती हैं, कई वंश बिगड़ जाते हैं, मानवता के सम्बन्धों में टूट फूट होती है और समाज व संस्कृति की नींव दहल जाती है और समाज की नींव पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

यह वह सब नियम है जो इस्लामी धर्म नीति ने मनुष्य के जीवन पर निर्धारित किए हैं इसलिए कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत तथा शरीर के अधिकारों के पूरा करने के लिए दूसरों के अधिकारों को छीन न ले या



उनमें कमी कर दे परन्तु मानवता की संस्कृति कि उन्नति के लिए तथा कुशलता के लिए यही बात काफी नहीं है कि मनुष्य दूसरों को किसी किस्म की हानि न पहुँचाए बल्कि इस के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि मानवता के सम्बन्धों तथा मेल-जोल को इस प्रकार से स्थिर रखें कि वह इन सब को भलाई के कार्यों में एक-दूसरे कि सहायता करें और सामाजिक आवश्यकताओं में एक - दूसरे के सहयोगी हों।

अब हम नीचे उन नियमों के सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस्लामी धर्म नीति ने इस लक्ष्य के लिए बनाए हैं :-

क . सच्चाई यह है कि मानवीय सम्बन्धों का आरंभ पारिवारिक जीवन से होता है इसलिए जरूरी है कि आप दूसरी बातों से पहले पारिवारिक जीवन पर ध्यान करें, कुटुम्ब, असल में पति-पत्नी और उसकी संतानों का संगठन होता है। इसलिए इस्लाम जिस चीज़ पर कुटुम्ब की नीव रखता है वह यह है कि पति की जिम्मेदारी है कि वह कुटुम्ब के लिए धन कमाए और उसकी आवश्यकताओं को

पूरा करे कुटुम्ब के लोगों की रक्षा करे और स्त्री की जिम्मेदारी यह है कि पति तथा संतान के लिए बड़ी से बड़ी सुविधाएँ दे और संतान की शिक्षा तथा सुधार की ओर ध्यान करे। संतान की जिम्मेदारी यह है कि अपने माता-पिता का अनुसरण करे और उनका आदर करें और जब वे बूढ़े हो जाएँ तो उनकी सेवा करें। इस्लाम ने इस लक्ष्य के लिए कुटुम्ब, रीति, भलाई अच्छाई के रास्ते पर चलते रहने के लिए दो बातों की व्यवस्था की है :-

पहली युक्ती यह है कि पति तथा पिता को कुटुम्ब का मुखिया और उसके विषयों का रक्षक नियुक्त किया है। यह असम्भव है कि कुटुम्ब की रीति बिना किसी रक्षक के हो। यदि कुटुम्ब के लोगों का हर सदस्य अपनी अपनी इच्छा रखता हो और अपने क्रियाओं के बारे में किसी के समक्ष उत्तरदायी न हो तो कुटुम्ब में अधिकतर बेचैनी तथा फूट उत्पन्न होती है, फिर उसमें प्रसन्नता, शांति तथा संतुष्टता का समाप्त हो जाना आवश्यक है। इन बुराईयों को दूर करने के लिए जरूरी है कि कुटुम्ब का एक शासक हो जो उसके विषयों का जिम्मेदार हो -

पुरूष ही वह हो सकता है जो घर वालों के पालन पोषण तथा उनकी रक्षा के लिए उत्तरदायी हो। इसी प्रकार वही कमाई का भी जिम्मेदार हो और उसी प्रकार आवश्यक है कि वही रक्षा का भी उत्तरदायी हो।

दूसरी युक्ती यह है कि इस्लाम ने पुरूष के कंधे पर घर से बाहर के कामों तथा विषयों की जिम्मेदारी डालने के बाद स्त्री को आदेश दिया है कि वह घर से बिना किसी आवश्यकता के बाहर न निकले, इसलिए घर के बाहर के कामों की जिम्मेदारी से उसे मुक्त कर दिया है इसलिए कि वह घर में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को शांति तथा संतुष्टता से पूरा करे। घर के नियम व प्रबंध तथा बच्चों की देखभाल में उसके घर से बाहर जाने के कारण बाधा न पड़े परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्री के लिए कभी भी घर छोड़ कर न जाना हो बल्कि वास्तव में उसे आवश्यकता हो तो आज्ञा दी जाती है कि वह बाहर जाएं। धर्मनीति केवल यह चाहती है कि उसकी जिम्मेदारियों का केन्द्र घर ही हो और वह अपनी पूरी शक्ति तथा बुद्धि जो उसे दी गई है केवल

अपने घर तथा सन्तान की देख-रेख में खर्च करे इसलिए की वह एक अच्छे मनुष्य तथा जीवन की जिम्मेदारियों की रक्षा करने वाले बनकर उठें।

खूनी सम्बन्धों तथा विवाह आदि द्वारा परिवार बढ़ता है। जो लोग इस दायरे में एक-दूसरों से सम्बन्ध रखते हों तो धर्म नीति ने उनके लिए एक दूसरे के सम्बन्ध की अच्छाई और भलाई तथा आपस में एक-दूसरों की सहायता करने और एक-दूसरों का सहायक होने के लिए कुछ नियम नियुक्त किये हैं। इन नियमों में कुछ इस प्रकार हैं :-

१. धर्मनीति ने कुछ पुरुषों और कुछ स्त्रियों को एक-दूसरे के लिए हराम कर दिया है जो आपस में मिल जुल कर रहते हैं, जैसे माता का दूसरा पति, पत्नी के दूसरे पति की पुत्री, पिता की पत्नी तथा उसके दूसरे पति का पुत्र, सगे भाई तथा बहन अथवा दूध के सम्बन्ध वाले, चाचा-भतीजी, फुफी-भतीजा, मामा-भांजी, पत्नी की माँ, उसकी पुत्री का पति, मौसी-भांजा, पति का पिता और उसके पुत्र की पत्नी इन सब सम्बन्धियों को हराम नियुक्त कर देने के बहुत से लाभों में से एक यह है कि

इस प्रकार पुरूष तथा स्त्रीयों के सम्बन्ध पवित्र तथा साफ रहें और वह आपस में पूरे प्रेम व श्रद्धा के साथ बिना किसी संकोच व कठिनाई के साथ मिल- जुल कर रहें।

२. इस्लाम ने इन सम्बन्धों के बाद परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच विवाह करने को सही कहा है इसलिए कि प्रेम के बन्धन को और मजबूत करें, जो लोग एक दूसरे के रीति-रिवाज उनके स्वभावों तथा व्यवहारों को जानते हों, उनके बीच विवाह करना इन लोगों कि तुलना में, जो एक दूसरे को पहले से न जानते हों, ज्यादा सफल होता है, इसलिए इस्लाम ने दूसरे लोगों कि तुलना में अपने कुल के लोगों में विवाह को श्रेष्ठता दी है।

३. क्योंकि परिवार में धनवाले और निर्धन, अच्छे और बुरे, सब ही होते हैं, इसलिए इस्लाम ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बन्दों के अधिकारों में से मनुष्य पर सबसे ज्यादा अधिकार सम्बन्धियों का है। यह वह चीज है जिस को धर्मनीति ने 'सिलारहमी' (सम्बन्धियों के साथ अच्छा व्यवहार करना) कहा है। कुरान तथा

सुन्नत में 'सिलारहमी' के बारे में बार-बार सावधान किया गया है। सम्बन्ध तोड़ने को बड़ा पाप कहा है। यदि कोई निर्धन पर कोई कठिनाई आ जाए तो उन लोगों की जो दूसरे सम्बन्धियों की तुलना में ज्यादा धन रखते हैं जिम्मेदारी है कि उनकी सहायता को पहुँचे और उनकी सहायता करें। जैसे कि सम्बन्धियों के अधिकार को दान के विषयों में दूसरों के अधिकार पर श्रेष्ठता दी गयी है।

४. इस्लाम ने 'तरका' का नियम भी बनाया है, यदि कोई मनुष्य मर जाए और अपने पीछे सम्पत्ति को छोड़ जाए तो वह उसका 'तरका' है। अब यह सम्पत्ति एक ही जगह केन्द्रित तथा खजाना बनकर न रह जाए बल्कि ज़रूरी है कि हर सम्बन्धी इस सम्पत्ति से उन आदेशों के अनुसार जो कुरआन ने बनाए हैं सम्बन्धों के निकटता के आधार पर अपना भाग प्राप्त कर लें। इस प्रकार एक व्यक्ति का धन बहुत से सम्बन्धियों के बीच बट जाएगा और वह धन से उसकी मृत्यु के बाद लाभ उठा सकेंगे। इस्लाम का यह वह कानून है कि जिसका कोई उदाहरण प्राचीन तथा अंतरराष्ट्रीय

नियमों में नहीं मिलता। तथापि कुछ जातियों ने आज दुनियाँ में इस्लाम के इस नियम को देखते हुए इस प्रकार का नियम बनाना प्रारंभ किया परन्तु खेद होता है कि स्वयं मुसलमानों ने अपनी नासमझी के कारण से इस नियम का विरोध आरंभ किया है और उनमें पुत्रियों को सम्पत्ति नहीं देने का रोग आ गया है जो अत्यन्त अत्याचार तथा कुरआन के आदेश के विरुद्ध है।

ख. परिवार के सम्बन्धों के अतिरिक्त मनुष्य अपने मित्र, पड़ोसियों, बस्ती में रहने वालों, नगर में रहने वालों तथा उन लोगों से जिनके साथ उसको विभिन्न प्रकार से काम पड़ते हैं, सम्बन्ध रखता है। इस्लाम ने इन सब के साथ सच्चाई, न्याय तथा अच्छे गुण तथा समानता के साथ रहने का आदेश दिया है, जैसे कि स्वयं मनुष्य चाहता है कि लोग उसको दूसरों के सताने से बचाएं। इसी प्रकार उसको चाहिए कि दूसरों के साथ पुण्य तथा सच्चाई में सहायता के आधार पर उनको भी अपने दुरव्यवहार तथा पीड़ा से सुरक्षित रखे। अधिकारों को पूरा करने में अन्त नहीं होता है। जो निकट के

सम्बन्धि हो वह अच्छे व्यवहार के ज्यादा योग्य होते हैं। उन में पड़ोसी भी हैं। हज़रत जिबरील ने हज़रत मुहम्मद स.अ.व. को पड़ोसी के सम्बन्ध से बार-बार अनुरोध किया यहाँ तक कि हज़रत मुहम्मद स.अ.व. ने यह संशय कर लिया कि वह उनको उत्तराधिकारी बना देंगे और यह पड़ोसी के अधिकार की बड़ाई के कारण से था। हज़रत मुहम्मद स.अ.व. ने एक यहूदी पड़ोसी से, जब आपने उसको नहीं देखा तो, भेंट करने के लिए गये। फिर मनुष्य पर दूसरे मुसलमानों के भी अधिकार हैं। उन में जो भूखे हों उनको खाना खिलाए, जो नंगे हों उनको कपड़े पहनाए यदि वह उसकी शक्ति रखता हो। और अगर कोई संकट में हो तो उसकी सहायता करे, रोगी को देखने जाए यदि कोई गलत मार्ग पर चलने लगा हो तो उसको सही मार्ग दर्शन करें और जो कमाने के योग्य नहीं है तो उसके लिए ऐसे काम ढूँढे जिससे वह और उसका परिवार रोज़ी प्राप्त करे। हदीस में आया है कि :-  
 " मुसलमान मुसलमान का भाई है, न तो उस पर अत्याचार करें और न



उसको किसी के हवाले करें।"

जैसे कि कुरआन में आया है :-

" और पुण्य तथा परहेजगारी में आपस में एक-दूसरे कि सहायता करें और पाप तथा अत्याचार में सहायता न करें।" ( ५:२)

और यह भी आया है :-

" ईमान वाले तो भाई-भाई हैं।" ( ४९:१०)

इसके अतिरिक्त मुसलमानों के बीच और उन लोगों के बीच जिनका उन पर कोई अधिकार होता है कई प्रकार के सम्बन्ध होते हैं जैसा कि अल्लाह ने कहा है :-

" और अगर कोई मुशारिक आप से शरण मांगे तो उसे शरण दे यहाँ तक कि वह अल्लाह की बात सुने फिर उसको सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दें।" ( ९:६)

ग. और अब आप उन तंग दायरों से निकलें इस फैले हुए दायरे पर विचार करें जो सारी दुनिया के मुसलमानों से बना है। इस्लाम ने इस दायरे में भी कई नियमों तथा विधि को नियुक्त किया है जो सब मुसलमानों की भलाई, पुण्य तथा परहेजगारी के

कार्यों में एक-दूसरे का सहायक बना देते हैं। जो एक ऐसे वातावरण में जीवन बिताते हैं जिसमें वह सब अपने जीवन, मान सम्मान तथा अपनी सम्पत्ति के विषय में निर्भय तथा साहसी होते हैं, और उसके लिए भी इस्लाम ने कुछ नियम बनाये हैं :-

१. इस्लाम ने पुरुषों तथा स्त्रीयों के बीच यदि वह ऐसे सम्बन्धी हों जिनके बीच विवाह को धर्म नीति ने उचित कहा है तो मेल-मिलाप से मना किया है, और यह बात उनके चरित्र तथा मान मर्यादा की रक्षा के लिए है, और स्पष्ट किया है कि यह सच्चे मुसलमान तथा स्त्रियों के लिए एक साथ मन तथा दृष्टि की पवित्रता का साधन है। इसलिए कि स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का आरंभ दृष्टि से ही होता है।

अल्लाह ने कहा है :-

“( ऐ नबी ! ) कहो ईमान वालों से वह अपनी दृष्टि को झुका में और अपनी योनि की रक्षा करे वह उनके लिए ज्यादा पवित्र ( बात ) है।” ( २४:३० )

स्त्रियों के लिए ऐसे काम नियुक्त किए हैं जिन को पुरुष नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार पुरुषों के कुछ

काम हैं जिन को स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। स्त्रियों को घर में रहने तथा सुख तथा शान्ति के साथ घर के कार्य करने का आदेश दिया है और उनको पुरुषों के लिए शान्ति का साधन तथा उनका वस्त्र कहा है। पुरुष ही जीवन के मैदान में परिश्रम करता है, जब अपने घर को वापस आता है तो अपने आप को सुख व चैन पहुंचाने का अभिलाषी होता है। और यह बात वह अपनी उस पत्नी के द्वारा ही पा सकता है जो घर में रहकर खुद अपने लिए और अपने पति के लिए खाना-पानी और आराम का प्रबन्ध करे, ऐसी पत्नी के विरुद्ध जो खुद दुकान, कारखाना अथवा किसी दूसरे कार्य को करने वाली हो तो ऐसी पत्नी जो पुरुष के समान काम को समाप्त होने पर थकी हुई विवश होती है, वह स्वयं अपने लिए शान्ति व चैन की और अपने पति की सेवा को एक साथ करने के योग्य नहीं होती है।

२. इस्लाम ने स्त्रियों को अपने श्रृंगार तथा सजावट को ज़ाहिर कर के बाहर आने से मना किया है। इस लिए कि इसमें पुरुषों के जज़्बात के भड़काने तथा उनके पापी होने का अनुमान होता है। और इसी

प्रकार स्त्रियों की रक्षा भी इसका अभिप्राय है इसलिए कि वह पुरुषों की कठोरता का खुद को निशाना न बनने दें, इसलिए स्त्री और पुरुष को अपने-अपने ढंग का वस्त्र धारण करने का आदेश दिया गया है क्योंकि कोई दूसरा इस संकट का शिकार न हो।

३. इस्लाम ऐसे खेल, तमाशों, दिल्लगी, हंसी पसन्द नहीं करता जो लोगों को चरित्रहीन कर दे, बुरी इच्छाओं को भड़काने वाले समय, स्वास्थ्य तथा धन को नष्ट करने वाले हों।

४. मुसलमानों की एकता तथा उनका सामूहिक सुधार कि रक्षा के लिए उनको सावधानी का आदेश दिया है कि आपसी फूट से बचें गिरोह बन्दी तथा झगड़ों से दूर रहें फिर यदि कोई विषय में मतभेद हो जाए तो उसको सच्चे मन से कुरआन तथा हदीस की सहायता लेकर कोई निर्णय करे इस पर भी किसी परिणाम पर न पहुँचे तो इस विषय को अल्लाह पर छोड़ दे, आपस में लड़ाई न करें। एक दूसरे के साथ मिलकर सामूहिक सुधार के काम करें उन कार्यों में सहायता करें और अपने प्रधान

का अनुसरण करें और आतंकवादियों, दंगा-फसाद करने वाले लोगों से दूर रहें अपनी शक्ति को भंग होने से बचाएँ, अपनी जाति को आपसी टूट-फूट से कलंकित न करें।

५. इस्लाम ने मुसलमानों को इस बात की आज्ञा दी है कि वह दूसरे धर्म वालों से ज्ञान व विद्या सीखें और उनसे लाभदायक कलाएं सीखें परन्तु उन्हें अपने जीवन में उनका अनुसरण करने से मना किया है। क्योंकि कोई जाति दूसरों के अनुसरण को उस समय अपनाती है जबकि वह अपनी जाति कि दुर्दशा तथा नीचता तथा दुष्ट और दूसरी जाति की बड़ाई, श्रेष्ठता तथा उन्नति को मानकर उनको स्वीकार कर लें। यह आधीनता की बड़ी बुरी किस्म है, और अपनी पराजय तथा नाश को मान लेना होता है। इसका परिणाम यह है कि यह जाति की संस्कृति समाप्त हो जाती है। इसलिए हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने मुसलमानों को दूसरी जाति की देखा-दिखी करने से उनके रीति-रिवाजों का अनुकरण करने से कड़े शब्दों में मना किया है, और हर वह व्यक्ति जिसको थोड़ी भी बुद्धि दी गयी हो यह

बात समझ सकता है कि किसी जाति की शक्ति न उसके वस्त्र के आधार पर है और न उसके जीवन के तरीकों से बल्कि उसके ज्ञान और उसकी अच्छी विधि और कार्य करने की शक्ति के आधार पर होती है। इसलिए जो कोई शक्ति तथा उन्नति प्राप्त करना चाहता है तो उसको दूसरी जातियों से शक्ति तथा उन्नति और उसको प्राप्त करने के साधनों को जानना चाहिए जिससे वह जातियां शक्ति प्राप्त करती हैं, और इस ओर से आकर्षित नही होना चाहिए जिससे जातियां नाश का शिकार होती हैं, और दूसरी जातियों में लीन हो जाती हैं, और अंत में अपने जीवन तथा उसके साधनों को समाप्त कर देती हैं।

मुसलमानों को इस बात से भी मना किया गया है कि दूसरे धर्म वालों के साथ भेद-भाव करें और उनको तंग दृष्टि से देखें और यह कि उनके देवताओं को बुरा भला कहें और इसी प्रकार इस बात से भी मना किया गया है कि उनसे व्यर्थ ही लड़ाई-झगड़े मोल लें बल्कि उन्हें हमारे धर्म के विषय में बताएं और उनको हमारे धर्म के मार्ग पर चलने का

निमंत्रण देकर अपने सम्बन्धों के आरंभ करें। यदि दूसरे धर्म वाले मुसलमानों के साथ मित्रता करना चाहते हों तो उन्हें इस्लाम की बातें सुनने का अवसर दें और अल्लाह के मार्ग को न रोकें और मुसलमानों के अधिकार पर ज्यादाती न करें जरूरी है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, जितना हो सके उनसे प्रेम करें, दया, कृपा तथा अच्छे गुणों के साथ रहें और अल्लाह के धर्म के न्योते के द्वारा, जो उसने उनके लिए पसन्द किया है उनके साथ भलाई का व्यवहार अपनाएं। उनके साथ अन्याय, दृष्टिहीनता और उनके बारे में बुरे विचार न रखें, दुख न दें इसलिए कि यह इस्लाम के आदेश और मुसलमान के स्वभाव के विरुद्ध है। उसे ऐसा बनाया गया है कि वह लोगों के लिए उदाहरण बने जिस को लोग अच्छे गुण, खुले मन और सच बोलने के विषय में अपनाये और उनके हृदय को अपने अधिकार तथा न्याय पर आधारित पवित्र कार्यों के द्वारा उनको छोटा व अपने आप से बड़ा समझे बिना उनके मन को मोह ले बल्कि मुसलमानों से दूसरे शरण मांगे तो शरण देने का आदेश दिया है।

अल्लाह ने कहा है :-

“अगर कोई मुशारक आप से शरण मांगे तो उसे शरण दें यहां तक कि वह अल्लाह की बातें सुने फिर उसको उसके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें।” (

९:६)

इस प्रकार किसी दूसरे धर्म के शरण मांगने वाले को शरण देने और उसको सही बात बताने फिर उसको ऐसे स्थान पर पहुंचाने का आदेश दिया है जहां वह शान्ति से रह सके।

४. सब प्राणियों के अधिकार :-

अब हम चतुर्थ किस्म के अधिकारों का वर्णन करेंगे। निःसंदेह अल्लाह ने मनुष्य को अपने बहुत से प्राणियों पर श्रेष्ठता दी है। और उसे इज़ाज़त दी है कि अपनी शक्ति से उनको आधीन में करने के बाद उनका प्रयोग करे। और उसको इस बात की भी आज्ञा दी है कि उनसे जिस प्रकार से चाहे सेवा ले और लाभ उठाए और भूमि पर सबसे श्रेष्ठ होने के कारण यह उसका कानूनी अधिकार है, परन्तु इन बातों की तुलना में अल्लाह ने उन प्राणियों के भी कुछ अधिकार रखे हैं, इनमें से एक यह है कि उनको नष्ट न



करें और बिना किसी आवश्यकता के उनको कष्ट न दें, और अगर आवश्यक हो तो उसका कर्तव्य है कि उनको उतना ही कार्य का बोझ दें जितना कि उसके लिए जरूरी है। और उनसे सेवा लेने और लाभ लेने के तरीकों में भी सही व उचित साधन का प्रयोग करें। इस्लामी धर्म नीति इस प्रकार के बहुत से आदेशों से भरी पड़ी है। इसलिए मनुष्य को उसने बिना खाने की आवश्यकता के और हानि से बचने के सिवा प्राण लेने की इजाजत नहीं दी है। मन को बहलाने के लिए उनके प्राण न लें। इस्लामी धर्म नीति में जिन पशुओं को खाया जाता है उनके प्राण लेने के लिए (जुबह) करने का नियम बनाया है। जो उनके लाभदायक मांस प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। जुबह के सिवा दूसरा हर तरीका पशुओं के लिए यद्यपि सरल हो, मांस के लाभों को कम कर देता है, और यदि कोई जुबह से बढ़कर कोई तरीका मांस के लाभों की रक्षा करने वाला हो तो वह पशुओं के लिए और ज्यादा कष्ट वाला होता है। इस्लाम इन दोनों तरीकों से बचना चाहता है और पशुओं को निर्दयता से प्राण लेने को

मना किया है। इसी प्रकार इस्लाम ने कई घातक तथा विषैले पशुओं के प्राण लेने की केवल इसलिए इजाजत दी है कि मनुष्य के प्राण इन विषैले तथा घातक पशुओं के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण व बहुमूल्य है, मगर इसके अतिरिक्त उनको कष्ट देकर प्राण लेने की आज्ञा नहीं देती। इसी प्रकार उन पशुओं को भूखा रखने से जिनका सवारी तथा भार उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है और उनकी शक्ति से बढ़कर काम लेने और उनको निर्दयता से मारने से भी मना किया है। इस्लाम इस बात को भी पसन्द नहीं करता कि हम पक्षियों को बिना आवश्यकता के कैद में रखें, इस्लाम तो यह बात भी पसन्द नहीं करता कि पशुओं को ही नहीं बल्कि वृक्षों को भी किसी प्रकार की हानि पहुँचाए। हमें अधिकार है कि उनके फूल-फल तोड़े परन्तु इस बात का अधिकार नहीं है कि उनको बरबाद कर दें अथवा बिना आवश्यकता के उनको काट डालें। इससे बढ़कर यह हो कि इस्लाम वृक्षों ही को नहीं जो फिर भी प्राण रखते हैं, बल्कि प्राण न रखने वाली वस्तुओं को भी नष्ट करने को अनुचित कहा है।

इसीलिए इस्लाम ने बिना आवश्यकता के पानी बहाकर नष्ट करने से भी मना किया है।

विश्वसम्बन्धी सदा रहने वाली धर्मनीति :-

अब तक जो कुछ हमने वर्णन किया है वह बस उस प्रकाशित धर्मनीति के आदेशों तथा नियमों का संक्षिप्त सारांश है, जिसके साथ हज़रत महुम्मद स०अ०व० सारी दुनियाँ के लिए भेजे गये हैं। इस धर्मनीति में विश्वास तथा अमल ( कर्म ) के सिवा कोई वस्तु मनुष्य और मनुष्य के बीच कोई अन्तर नहीं है और सच्चाई यह है कि वह सब धर्मनीतियों तथा धर्म जिसमें मनुष्य- मनुष्य के बीच, वंश, देश व रंग के आधार पर व्यवहार किया गया है। वह विश्वसम्बन्धी धर्मनीति नहीं हो सकती। इसलिए कि स्वाभाविकता से यह कठिन है कि इस वंश का कोई व्यक्ति उस वंश के किसी व्यक्ति से बढ़कर हो क्योंकि इस प्रकार के धर्म केवल किसी विशेष प्रकार के किसी विशेष जाति ही में उभर सकते हैं। इन सब धर्मों की तुलना में इस्लाम ने एक विश्वसम्बन्धी धर्मनीति प्रस्तुत की है हर उस मनुष्य के लिए जो " लाइलाह इल्लल्लाह "

( अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है ) पर विश्वास करके उस पर ईमान लाए। सम्भव है कि वह मुसलमानों में मिल जाए और अधिकारों से लाभ उठाए जिनसे सब मुसलमान लाभ उठाते हैं, क्योंकि इस धर्मनीति में वंश, भाषा, देश व रंग का कोई भेदभाव नहीं है, फिर यह धर्मनीति सदा रहने वाली धर्मनीति है, जिसके नियम किसी विशेष जाति व विशेष युग के रीति-रिवाजों के आधार पर नहीं बनाए गए हैं बल्कि इस्लामी धर्मनीति हर युग तथा हर स्थान और मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनी है। उसको बनाने वाला वह है जिसने मनुष्य को जन्म दिया है, वह उसकी आवश्यकताओं को भी जानता है, इसलिए ऐसी ही धर्मनीति हर स्थान तथा हर युग में स्वभक्षव के अनुसार, उचित हो सकती है।

और हमारी अंतिम प्रार्थना यह है कि सब विशेषता अल्लाह के लिए है जो सारे संसार का पालनहार है।

**COOPERATIVE OFFICE  
FOR CALL AND GUIDANCE  
IN AL- BATHA**

**UNDER THE SUPERVISION OF  
MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS,**

**ENDOWMENTS, PROPAGATION AND GUIDANCE**

**PO. BOX:20824 RIYADH.11465**

00966-1 — 4030251  
— 4034517  
— 4031587  
— 4030142  
FAX — 4059387

**Lecture hall. Tel + Fax: 00966- 1- 4083405**

© All rights reserved for the Office  
No part of this book may be used for publication without the  
written permission of the copyright holder, application for  
which should be addressed to the office

هذا الكتاب يحتوي على:

-----

- \* معنى الإسلام وحقيقته.
- \* السبيل إلى معرفة أمر الله وشرعه.
- \* معرفة الأنبياء والدلائل على صدقهم.
- \* أركان الإسلام والإيمان.
- \* بيان أن تطبيق الشريعة عبادة لله وأنها

جاءت لحفظ الضرورات الخمس

- (الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض).
- \* مصادر الشريعة.
- \* الجهاد في سبيل الله.
- \* الحقوق الواجبة على الأفراد.

# مبادئ الإسلام

باللغة الهندية

# المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في منطقة البطحاء

تحت إشراف  
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ص.ب: ٢٠٨٢٤ الرياض ١١٤٦٥

هاتف: ٤٠٣٠٢٥١

٤٠٣٠١٤٢

٠٠٩٦٦ - ١ - ٤٠٣٤٥١٧

٤٠٣١٥٨٧

فاكس: ٤٠٥٩٣٨٧

هاتف وفاكس صالة المحاضرات بالبطحاء

٠٠٩٦٦ - ١ - ٤٠٨٣٤٠٥

حقوق الطبع محفوظة للمكتب

لا يسمح بطبع أي جزء من هذا الكتاب إلا بعد مراعاة خطية مسبقة من المكتب





# مبادئ الإسلام

باللغة الهندية

إعداد

حمود بن محمد الأحام

ترجمة

محمد شريف

الأستاذ بجامعة دار الهدى - ميروان

ردمك: ٨-٥١-٧٩٨-٧٩٦٠

الكتاب التعاوني للدعوة والإرشاد - قسم الجاليات - الطهران

٣١